17

Exhibit-2

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–91/सत्तर–1–2024–20(7)/2015 टी०सी०
लखनऊ : दिनांक : 30 जनवरी, 2024

मुख्य ट्रस्टी,
बृजवासी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी,
मथुरा, उत्तर प्रदेश।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत मथुरा में आपके द्वारा एस०के०एस० इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के प्रस्ताव के सम्बन्ध अवगत कराना है कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अधिनियम, 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2023) द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की अनुसूची–2 में कमांक 38 पर सम्मिलित किया गया है।

इस सम्बन्ध में एस०के०एस० इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश के संचालन की अनुज्ञा विषयक अधिसूचना संख्या–90/सत्तर–1–2024–20(7)/2015 टी०सी० दिनांक 30 जनवरी, 2024 प्रेषित करते हुए अपेक्षा की जा रही है कि संचालन प्राधिकार–पत्र में उल्लिखित शर्तो के अधीन ही उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में एस०के०एस० इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश का संचालन किया जायेगा।

संलग्नक–यथोक्त।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1)सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, 110002। (secy.ugc@nic.in)
(2) मंडलायुक्त, आगरा मण्डल।
(3) जिलाधिकारी, मथुरा ।
(4) कुलपति/कुलसचिव, डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
(5) कुलसचिव, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
(6) उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
(7) निदेशक, बोर्ड आफ टेक्नीकल एजुकेशन, लखनऊ।
(8) कुलसचिव, महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
(9) निजी सचिव, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/संस्थागत वित्त विभाग/चिकित्सा शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/आयुष विभाग।
(10) उच्च शिक्षा विभाग के समस्त अनुभाग।
(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०पी० मिश्र)
उप सचिव।

Registrar
SKS International University

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–90 / सत्तर–1–2023–20(7) / 2015 टी0सी
लखनऊ : दिनांक : 30 जनवरी, 2024

अधिसूचना

चूँकि, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2023) द्वारा यथा संशोधित, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) द्वारा बृजवासी एजुकेशन एण्ड, वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रायोजित, एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश नामक एक निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, पूर्वोक्त विश्वविद्यालय को मथुरा, उत्तर प्रदेश में एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश के नाम से चलाने की अनुज्ञा देती हैं।

आज्ञा से,

(एम0पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

Registrar
SKS International University
Mathura

पत्र संख्या– 91 / सत्तर–1–2024–20(7) / 2015 टी0सी0 दिनांक 30 जनवरी, 2024 पृष्ठ संख्या– 2

उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए उपक्रम प्रतिष्ठापित किया जायेगा।

(10) प्रत्येक विभाग या शाखा में विनियामक निकायों द्वारा यथाविहित आचार्यों सह-आचार्यों तथा सहायक आचार्यों और सहायक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति की जायेंगी एवं प्रत्येक विभाग/शाखा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित अध्यापक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियां, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियों, वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, खेल-कूदों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था की जायेगी।

(12) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तो का अनुपालन किया जायेगा।

(13) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए भविष्य निधि स्थापित की जायेगी तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जायेंगी।

(14) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्य-प्रणाली के लिये परिनियम, अध्यादेश और विनियम 03 माह में बनाये जायेंगे।

(15) भू-राजस्व से संबंधित अधिनियमों/नियमों/ शासनादेशों में प्रचलित विधियों एवं समय-समय पर दिये गये मा0 न्यायालयों के आदेश के अन्तर्गत यदि भविष्य में प्रायोजक संस्था द्वारा धृत भूमि की अधिकारिता/अन्तरण के सम्बन्ध में राजस्व विधि से असंगतता पायी जाती है, तो उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 यथा संशोधित अथवा अन्य सुसंगत राजस्व विधि में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रायोजक संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उप-धारा (ट) से (द) में उल्लिखित शर्तो, जिनकी पूर्ति किये जाने के सम्बन्धी पत्र दिनांक 07-02-2023 द्वारा वचनबद्धता दी गयी थी, की पूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(एम0 पी0 अग्रवाल)
प्रमुख सचिव।

Registrar
SKS International University
Mathura

(2) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर संचालित महाविद्यालय को उनसे सम्बन्धित विश्वविद्‌ तथा संस्थाओं से असम्बद्धीकरण कराते हुए शैक्षिक सत्र 2023-2024 से महाविद्यालय रूप में छात्रों का प्रवेश लेना बंद कर दिया जायेगा।

(3) विश्वविद्यालय की भूमि मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा के क्षेत्रान्तर्गत है। विश्वविद्यालय के लिये निर्मित भवन विकास प्राधिकरण/नगर निकाय के नियमों से असंगत नहीं होगा तथा भविष्य में संभावित निर्माण के सम्बन्ध में मानचित्र स्वीकृत कराया जायेगा।

(4) प्रायोजक संस्था द्वारा UGC (Establishment Oए And Maintenance Oए Standards In Private Universities) Regulations, 2003 तथा समय-समय पर UGC एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(5) निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था जैसे आल इण्डिया काउन्सिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, बार काउन्सिल h फ इण्डिया, डिस्टेन्स एजुकेशन कांउसिल, डेन्टल कांउसिल ऑफ इण्डिया, इण्डियन नर्सिंग कांउसिल, मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया, नेशनल कांउसिल फार टीचर्स एजुकेशन, फार्मेसी कांउसिल आफ इण्डिया इत्यादि समय-समय पर दिये गये कार्यक्रम, संकाय, संरचनात्मक सुविधायें, वित्तीय सबलता इत्यादि के सम्बन्ध में न्यूनतम शर्तों को पूरी करेगा।

(6) निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम स्नातक एवं परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा कार्यक्रम जिसमें पाठ्यक्रम संरचना, विषय-वस्तु (contents), अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया, परीक्षा तथा मूल्यांकन पद्धति एवं छात्रों के प्रवेश हेतु योग्यता मानदण्ड सम्मिलित हों, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रारूप पर सम्पूर्ण सुसंगत सूचनायें इन पाठ्यक्रमों को प्रारंभ किये जाने से पूर्व उपलब्ध करायी जायेंगी।

(7) प्रवेश प्रणाली एवं फीस का निर्धारण यू0जी0सी0 एवं अन्य सम्बन्धित सांविधिक संस्था के द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार होगा।

(8) यदि विश्वविद्यालय का कामकाज असंतोषजनक रहता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उक्त विश्वविद्यालय को बन्द करने हेतु निर्देशित किया जायेगा, जिसका अनुपालन विश्वविद्यालय को अनिवार्यतः करना होगा। ऐसी स्थिति में पूर्व से उसमें नामांकित छात्रों के हितों को सुरक्षित किया जायेगा।

(9) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 3 की उप-धारा (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम 2 (दो) करोड़ रूपये के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, खण्ड (ख) में उल्लिखित भवनों से भिन्न अवसंरचनात्मक सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां प्रतिष्ठापित करना तथा आगामी पांच वर्षो में न्यूनतम 6 (छः) करोड़ रूपये के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें (उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर) तथा अन्य

Registrar
SKS International University
Mathura

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संचालन-प्राधिकार पत्र संख्या- 8 / 38/2023
एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
प्रायोजक संस्था- बृजवासी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी,
मथुरा, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के अधीन प्रायोजक बृजवासी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा निजी क्षेत्र में एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त अधिनियम की धारा 6 की उप धारा (1) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-217/सत्तर-1-2023-20(7)/2015टी0सी0, दिनांक 03 फरवरी, 2023 द्वारा बृजवासी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश को आशय-पत्र निर्गत किया गया। प्रायोजक संस्था द्वारा आशय-पत्र में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 07-02-2023 द्वारा प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि प्रायोजक निकाय द्वारा धारा 3 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

विधायी अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-630/79-वि-1-2023-2-क-21-2023 दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 के माध्यम से उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 के साथ संलग्न अनुसूची-2 में क्रमांक-37 के नीचे क्रमांक 38 पर एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश का नाम सम्मिलित किया गया है।

अतएव उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 7 की उप धारा (1) के अन्तर्गत एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश को शैक्षिक सत्र 2023-2024 से संचालित करने की अनुज्ञा श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं-

(1) प्रायोजक संस्था, बृजवासी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश द्वारा एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश के लिये ग्राम चौमुहां तहसील छाता व जनपद मथुरा में प्रस्तावित की गयी 20.04 एकड़ भूमि के चारो ओर बाउण्ड्रीवाल का निर्माण करेगी। भविष्य में निजी विश्वविद्यालय की भूमि का क्षेत्रफल कम नहीं किया जायेगा तथा इसके किसी भी भू-भाग का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपकी संस्था द्वारा राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश के नियमों, अधिनियमों तथा शासनादेशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

Registrar
SKS International University
Mathura

Uttar Pradesh Shasan
Uccha Shiksha Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 90/70-1-2024-20(7)/2015 T.C. dated 30 January, 2024:

Notification

No. 90 /70-1-2024-20(7)/2015 T.C.

Lucknow : Dated: 30 January, 2024

WHEREAS a private University with the name of S.K.S. International University, Mathura, Uttar Pradesh sponsored by Brijbasi Education and Welfare Society, Mathura, Uttar Pradesh has been established vide the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) as amended by the Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 20 of 2023) ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 7 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to permit the aforesaid University to operate with the name S.K.S. International University, Mathura, Uttar Pradesh in Mathura, Uttar Pradesh.

By order,

(M. P. Agrawal)
Pramukh Sachiv.

Registrar
SKS International University
Mathura

क्रम-संख्या–24

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 26 फरवरी, 2024

फाल्गुन 7, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 66/79-वि-1–2024-1-क-2-2024

लखनऊ, 26 फरवरी, 2024

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग–1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 26 फरवरी, 2024 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2024 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2024

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2024 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

Registrar
SKS International University
Mathura

24

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 की अनुसूची-2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की अनुसूची-2 में, क्रम संख्या 37 के पश्चात् उक्त अनुसूची के स्तम्भों को निम्नानुसार संशोधित किया जायेगा और क्रम-संख्या 37 के पश्चात् नवस्थापित विश्वविद्यालयों के लिये निम्नलिखित क्रम-संख्या बढ़ा दी जायेगी:-

क्रम-संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
38	एस0 के0 एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय मथुरा, उत्तर प्रदेश	वृजवासी एजुकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, मथुरा, उत्तर प्रदेश

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

3-(1) राज्य सरकार, एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना के सम्बन्ध में किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजनार्थ, गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि मूल अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप, जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से प्रभावी होंगे :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2023

4-(1) उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य में नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने एवं उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने हेतु उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है।

एक नया निजी विश्वविद्यालय अर्थात् एस0के0एस0 इंटरनेशनल विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश की स्थापना हेतु उपबंध करने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में संशोधन करने का विनिश्चय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 को उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (सातवां संशोधन) अध्यादेश, 2023 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2023) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

Registrar
SKS International University
Mathura

No. 66(2)/LXXIX-V-1-2024-1-ka-2-2024

Dated Lucknow, February 26, 2024

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhiniyam, 2024 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2024) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 26, 2024. The Uccha Shiksha Anubhag- 1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) Act, 2024

(U.P. Act No. 1 Of 2024)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-fifth year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities (Amendment) Act, 2024.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from December 31, 2023.

Amendment of Schedule 2 of U.P. Act no. 12 of 2019

2. In Schedule-2 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (hereinafter referred to as the "principal Act") *after* serial no. 37, the Columns of the said Schedule shall be amended as below and after serial no. 37 for the newly established Universities the following serial number shall be *inserted*:—

Sl. no.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
38.	S.K.S. International University, Mathura, Uttar Pradesh	Brijbasi Education and Welfare Society, Mathura, Uttar Pradesh

Power to remove difficulties

3. (1) The State Government may, for the purposes of removing any difficulty in relation to the establishment of S.K.S. International University, Mathura, Uttar Pradesh, by order published in the *Gazette* direct that the provisions of the principal Act shall during such period, as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of the State Legislature as soon as may be after it is made.

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 20 of 2023

4. (1) The Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Ordinance, 2023 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

Registrar
SKS International University
Mathura

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (U.P. Act no. 12 of 2019) has been enacted to provide for the establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

In order to provide for the establishment of a new private University namely, S.K.S. International University, Mathura, Uttar Pradesh, it was decided to amend Schedule 2 of the aforesaid Act.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Private Universities (Seventh Amendment) Ordinance, 2023 (U.P. Ordinance no. 20 of 2023) was promulgated by the Governor on December 31, 2023.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

Registrar
SKS International University
Mathura.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1137 राजपत्र–2024–(3155)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

क्रम संख्या–151 (ख-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 6 अगस्त, 2019

श्रावण 15, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1451/79-वि-1–19-1(क)11-19

लखनऊ, 6 अगस्त, 2019

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 जिससे उच्च शिक्षा अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 5 अगस्त, 2019 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

इस अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2019 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

Registrar
SKS International University
Mathura

परिभाषाएं

2–जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में.–

(क) "विद्यापरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;

(ख) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्" (ए0आई0सी0टी0ई0) का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से है;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय-बोर्ड और नियोजन बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;

(घ) "वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्" (सी0एस0आई0आर0) का तात्पर्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से है जो केन्द्र सरकार की एक निधि प्रदानकर्ता अभिकरण है ;

(ङ) "विभाग" का तात्पर्य किसी अध्ययन विभाग से है जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र सम्मिलित हैं;

(च) "निदेशक" का तात्पर्य किसी संस्था, केन्द्र या विद्यालय के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त व्यक्ति से है;

(छ) "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग" का तात्पर्य केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से हैं;

(ज) "कर्मचारी" में विश्वविद्यालय के अध्ययन तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं;

(झ) "कार्यपरिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(ञ) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) "शासी निकाय" का तात्पर्य प्रायोजक निकाय द्वारा गठित किसी समिति से है;

(ठ) "छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थियों/छात्रों के छात्रावास से है;

(ड) "भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्" (आई0सी0ए0आर0) का तात्पर्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से है;

(ढ) "संस्थान/स्कूल" का तात्पर्य इस अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किसी संस्थान या स्कूल से है;

(ण) "भारतीय चिकित्सा परिषद्" (एम0सी0आई0) का तात्पर्य भारतीय चिकित्सा परिषद, 1956 के अन्तर्गत गठित भारतीय चिकित्सा परिषद से है;

(त) "अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य के किसी धार्मिक अथवा भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित किसी निजी विश्वविद्यालय से है;

(थ) "राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्"(एन0ए0ए0सी0) का तात्पर्य राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से है ;

(द) "राष्ट्रीय कैडेट कोर" (एन0सी0सी0) का तात्पर्य राष्ट्रीय कैडेट कोर से है;

(ध) "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्" (एन0सी0टी0ई0) का तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से है ;

Registrar
SKS International University
Mathura

(न) "राष्ट्रीय सेवा योजना" (एन0एस0एस0) का तात्पर्य राष्ट्रीय सेवा योजना से है ;

(प) "भारतीय भेषजी परिषद्" (पी0सी0टी0) का तात्पर्य भारतीय भेषजी परिषद अधिनियम, 1948 की धारा 4 के अधीन गठित भारतीय भेषजी परिषद् से है ;

(फ) "कुलाधिपति या अध्यक्ष", "प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष", "कुलपति और "प्रति कुलपति" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के "कुलाधिपति" या "अध्यक्ष", "प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष", "कुलपति" और "प्रति कुलपति" से है ;

(ब) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(भ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

(म) "विनियामक निकाय" का तात्पर्य समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित सांविधिक निकायों से है, यथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसके अंतर्गत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल, दूरस्थ शिक्षा परिषद्, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद्, भारतीय परिचर्या परिषद्, भारतीय चिकित्सा परिषद्, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् तथा भारतीय भेषजी परिषद् सम्मिलित हैं ;

(य) "अनुसूची" का तात्पर्य इस अधिनियम से संलग्न "अनुसूची" से है;

(कक) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बन्धित "प्रायोजक निकाय" का तात्पर्य :-

(एक) सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी से है ;

(दो) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1882) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सार्वजनिक न्यास से है ;

(तीन) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 8 सन् 2013) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी कम्पनी से है ;

(कख) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" और "विनियमों" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः "परिनियमों", "अध्यादेशों" और "विनियमों" से है;

(कग) "छात्र" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में नामांकित किसी छात्र से है;

(कघ) "विश्वविद्यालय के अध्यापक" का तात्पर्य आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है, जिन्हें विश्वविद्यालय में शिक्षा सम्बंधी अनुदेश प्रदान करने या शोध संचालित करने के लिए नियुक्त किया जाय और अध्यादेशों द्वारा अध्यापकों के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(कङ) "कोषाध्यक्ष", "कुलसचिव", "वित्त अधिकारी", "परीक्षा नियन्त्रक", "पुस्तकालयाध्यक्ष" या "कुलानुशासक" का तात्पर्य, विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

Registrar
SKS International University
Mathura

(कच) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित किसी निजी विश्वविद्यालय से है;

(कछ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा–4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

3–इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों के लिये प्रायोजक निकाय को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :–

(क) न्यूनतम 5 (पाँच) करोड़ रूपये की स्थायी विन्यास निधि सृजित करना ;

(ख) विश्वविद्यालय के लिए चिह्नित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम बीस एकड़ अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम पचास एकड़ की संलग्न भूमि सम्यक् रूप से धारित करना :

परन्तु यह कि प्रायोजक निकाय, विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली हेतु ऐसी भूमि अथवा उसके किसी आंशिक भाग का विक्रय, अन्तरण अथवा पट्टा नहीं करेगा और न ही इस अधिनियम में उल्लिखित प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये इसका उपयोग करेगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऋण प्राप्त करने से भिन्न किसी प्रयोजन के लिये स्थापित बैंक एवं वित्तीय संस्था से भिन्न किसी व्यक्ति को बंधक नहीं रखा जायेगा।

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम चौबीस हजार वर्ग मीटर के फर्शी क्षेत्रफल में भवन का निर्माण करना, जिसमें से कम से कम पचास प्रतिशत क्षेत्रफल का उपयोग शैक्षणिक तथा प्रशासनिक प्रयोजनों के लिये किया जायेगा;

(घ) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन के कार्यालयों और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम 2 (दो) करोड़ रूपये के उपस्कर, कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां, खण्ड (ख) में उल्लिखित भवनों से भिन्न अवसंरचनात्मक सुविधायें तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां प्रतिष्ठापित करना तथा आगामी पाँच वर्षों में न्यूनतम 6 (छः) करोड़ रूपये के कम्प्यूटर, फर्नीचर, आस्तियां तथा अवसंरचनात्मक सुविधायें [उपरोक्त (ख) में उल्लिखित भवन को छोड़कर] तथा अन्य उपभोज्य और गैर उपभोज्य सामग्रियां उपाप्त करने के लिए उपक्रम प्रतिष्ठापित करना;

(ङ) प्रत्येक विभाग या शाखा में विनियामक निकायों द्वारा यथाविहित आचार्यों, सह–आचार्यों तथा सहायक आचार्यों और सहायक कर्मचारिवृन्द के सदस्यों की नियुक्ति करना। प्रत्येक विभाग/शाखा में कम से कम पचहत्तर प्रतिशत नियमित अध्यापक विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी होंगे ;

(च) पुस्तकालय हेतु प्रत्येक वर्ष दस लाख रूपये मूल्य की पुस्तकें व पत्रिकाओं तथा ऑनलाइन संसाधनों को क्रय करना :

परन्तु यह कि दस लाख रूपये के व्यय में कमी होने की स्थिति में इसकी प्रतिपूर्ति अगले वर्ष में की जायेगी;

Registrar
SKS International University
Mathura

(छ) विनियामक निकायों के मानकों के अनुसार छात्रों के लिए पाठ्यक्रमेतर गतिविधियों, पाठ्यचर्या से भिन्न गतिविधियों, वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रमों, खेल–कूदों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था करना;

(ज) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय बार काउंसिल और केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों एवं शर्तों और विनियमों के अनुरूप होना;

(झ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा अध्यापकों के लिए भविष्य निधि स्थापित करना तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यप्रणाली के लिये परिनियम, अध्यादेश और विनियम बनाना ;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा की गई कोई व्यवस्था इस अधिनियम तथा विनियामक निकायों के उपबन्धों से असंगत नहीं होगी;

(ठ) विश्वविद्यालय की पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और विनियामक निकायों से प्राप्त अनापत्तियों को सार्वजनिक करना;

(ड) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित प्रारूप और समय पर राज्य सरकार को सूचना उपलब्ध कराना ;

(ढ) सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर, नकल रोकने के उपायों, प्रवेशों, परीक्षाओं, उपाधियों एवं प्रमाण–पत्रों आदि के लिये राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रतिमानों का अनुपालन करना;

(ण) विश्वविद्यालय में प्रवेश तथा फीस संरचना की पारदर्शी प्रक्रिया तथा मानक का विनिश्चय प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होने के पूर्व किया जायेगा तथा सार्वजनिक किया जायेगा। प्रवेश का अंतिम दिनांक, सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर के अनुसार होगा।

विदेशी छात्रों की प्रवेश नीति का विनिश्चय विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा किया जायेगा जो राज्य सरकार तथा विनियामक निकायों द्वारा अधिकथित मानकों के अनुरूप होगी;

(त) यथाविहित सामान्य शैक्षणिक कैलेण्डर का अनुसरण करना ; और

(थ) इस अधिनियम के अनुरूप ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करने का दायित्व ग्रहण करना, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व अधिकथित किया जाय ;

(द) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर अथवा विश्वविद्यालय के नाम से राष्ट्रविरोधी क्रियाकलाप करने या उनका सम्वर्द्धन करने में किसी व्यक्ति को न तो संलिप्त होने और न ही उसकी अनुज्ञा देने का वचन देना। विश्वविद्यालय में पाये गये ऐसे किसी क्रियाकलाप के मामले में, इसे विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने की शर्तों का महा उल्लंघन माना जायेगा और सरकार इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही कर सकती है :

Registrar
SKS International University
Mathura

किसी नये विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना

4–(1) कोई विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु प्रस्ताव और परियोजना रिपोर्ट से अन्तर्विष्ट आवेदन, प्रायोजक निकाय द्वारा, समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) परियोजना रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी, अर्थात् :–

(क) प्रायोजक निकाय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र तथा उपविधियों की प्रतियों सहित प्रायोजक निकाय का विवरण;

(ख) प्रायोजक निकाय से वित्तीय संसाधनों से सम्बन्धि सूचना तथा पिछले तीन वर्षों की लेखा परीक्षित लेखा;

(ग) प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम व स्थान;

(घ) विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(ङ) भूमि की उपलब्धता और भवनों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विवरण और भूमि, भवन तथा स्वामित्व प्राप्त करने तथा सृजन किये जाने हेतु प्रस्तावित अन्य अवसंरचना का विवरण;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा उपक्रमित किये जाने हेतु प्रस्तावित अध्ययन तथा अनुसंधान के कार्यक्रमों की प्रकृति तथा उनका प्रकार और राज्य के विकास सम्बन्धी लक्ष्यों तथा नियोजन सम्बन्धी आवश्यकताओं हेतु उनकी प्रासंगिकता और पाठ्यक्रमवार नामांकन लक्ष्यों सहित प्रथम पांच वर्षों से अधिक के ऐसे कार्यक्रमों को चरणबद्ध किया जाना ;

(छ) अध्यापन तथा अध्यापनेत्तर कर्मचारियों सहित प्रस्तावित शैक्षणिक सुविधाओं का विवरण ;

(ज) प्रारंभ किये जाने हेतु प्रस्तावित सुविधाएं, पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान;

(झ) प्रायोजक निकाय को उपलब्ध सम्बन्धित शाखाओं में अनुभव तथा विशेषज्ञता ;

(ञ) विश्वविद्यालय को क्रियाशील होने से पूर्व दायित्व ग्रहण किये जाने वाले परिसर के विकास हेतु योजनाओं का विवरण यथा–भवन निर्माण, संरचनात्मक सुख सुविधाओं का विकास, अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा उपकरणों आदि का उपापन और प्रथम पांच वर्षों के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम;

(ट) आगामी पांच वर्षों के लिये प्रस्तावित पूंजीगत व्यय के लिये चरणबद्ध परिव्यय ;

(ठ) साधन जुटाने की योजना सहित निधियों के स्रोत तथा उनकी पूँजीगत लागत तथा ऐसे स्रोतों के प्रतिसंदाय की रीति;

(ड) प्रथम संचालन वर्ष में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु छात्रों का चयन करने हेतु अपनायी जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली;

(ढ) विश्वविद्यालय में अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अपनायी जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली ;

Registrar
SKS International University
Mathura

(ण) क्या विश्वविद्यालय का स्थानीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित कोई कार्यक्रम उपक्रमित करने का प्रस्ताव है, यदि ऐसा है तो ऐसे उद्देश्य की पूर्ति हेतु विश्वविद्यालय द्वारा उपक्रमित किये जाने वाले विशिष्ट अध्यापन, प्रशिक्षण या अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों की प्रकृति ;

(त) क्या विश्वविद्यालय का कृषकों, महिलाओं तथा स्थानीय उद्योगों की प्रसुविधा के लिए कोई कार्यक्रम प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है, यदि ऐसा है तो उसका विवरण प्रस्तुत किया जाय ;

(थ) खेल–कूद एवं क्रीड़ा तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलाप, यथा एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, रोवर एण्ड रेंजर आदि हेतु उपलब्ध तथा सृजित किये जाने हेतु प्रस्तावित क्रीड़ा स्थलों तथा अन्य सुविधाओं का विवरण;

(द) शैक्षिणक उत्कृष्ठता, यदि कोई हो, के लिये प्रस्तावित व्यवस्था;

(ध) ऐसे अन्य विवरण, जिसे प्रायोजक निकाय देना चाहे;

(न) ऐसे अन्य विवरण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जाय।

मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाना

5–(1) किसी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परियोजना रिपोर्ट सहित प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार का उच्च शिक्षा विभाग एक समिति गठित करेगा, जो निम्नवत् होगी :–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित किसी राज्य विश्वविद्यालय का एक कुलपति;

(ख) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य विश्वविद्यालय का एक आचार्य ;

(ग) उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी ;

(घ) उत्तर प्रदेश शासन के वित्त एवं लेखा-सेवा के संयुक्त निदेशक की श्रेणी से अनिम्न एक अधिकारी;

(ङ) सम्बन्धित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामनिर्दिष्ट परगना मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न एक अधिकारी ;

(च) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन स्थापित किसी विश्वविद्यालय का एक कुलसचिव।

(2) समिति प्रायोजक निकाय की वित्तीय सबलता और आस्तियों तथा प्रस्तावित विश्वविद्यालय स्थापित करने की उसकी सम्पूर्ण योग्यता सहित प्रस्ताव एवं परियोजना रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(3) समिति प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट पर विचार करते समय प्रायोजक निकाय से ऐसी अन्य सूचनाएं, जिन्हें वह इस प्रयोजन के लिये उचित समझे, मांग कर सकती है।

(4) समिति, अपने गठन के दिनांक से 03 माह की अवधि के भीतर राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी:

परन्तु यह कि यदि समिति, लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले किन्ही पर्याप्त कारणों से उक्त 03 माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न कर सके तो वह अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को अग्रतर 01 माह या ऐसी अवधि जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञात की जाय, के भीतर प्रस्तुत कर सकती है:

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व राज्य सरकार के आदेशों के अधीन गठित किसी समिति द्वारा किये गये निरीक्षण, उपधारा (1) के अधीन गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किये गये निरीक्षण समझे जायेंगे।

Registrar
SKS International University
Mathura

आशय-पत्र का जारी किया जाना और प्रायोजक निकाय द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना

6-(1) धारा 5 के अधीन गठित समिति की आख्या प्राप्त होने के पश्चात यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना औचित्यपूर्ण है तो वह आशय-पत्र जारी कर सकती है।

(2) प्रायोजक निकाय धारा 3 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं और शर्तों को पूर्ण करेगा और राज्य सरकार को उसकी अनुपालन आख्या प्रतिशपथ-पत्र के साथ आशय-पत्र जारी किये जाने के दिनांक से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।

(3) यदि प्रायोजक निकाय धारा 3 के उपबन्धों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो, राज्य सरकार प्रायोजक निकाय को जारी किये गये आशय-पत्र को वापस लेने की शक्ति प्राप्त होगी।

नये विश्वविद्यालय की स्थापना अथवा निगमन

7-(1) धारा 3 के अधीन प्रस्तुत अनुपालन आख्या पर विचार करने के पश्चात यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 6 की उपधारा (1) के उपबन्धों का अनुपालन किया है तो वह गजट में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा आशय-पत्र के अनुसार नाम और स्थान से संचालित करने की विश्वविद्यालय को अनुज्ञा दे सकता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन स्थापित किये जाने वाले नये विश्वविद्यालयों के नाम, इस अधिनियम में संशोधन करके अनुसूची में सम्मिलित किये जायेंगे।

(3) विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के पश्चात नव स्थापित विश्वविद्यालय के नाम राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची 2 में उल्लिखित अंतिम विश्वविद्यालय के नीचे अगले क्रमांक पर रखे जायेंगे।

(4) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विद्यमान विश्वविद्यालयों का निगमन

8-अनुसूची 1 में संख्यांकित विद्यमान विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के अधीन निगमित हुए माने जायेंगे।

सम्बद्धता के लिये प्रतिषेध

9-विश्वविद्यालय, किसी महाविद्यालय अथवा संस्था को सम्बद्धता के विशेषाधिकार के निमित्त ग्रहण नहीं करेगा।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

10-विश्वविद्यालय के उद्देश्य, विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें वह उचित समझे, में अनुदेश, शोध और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करके, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार और अभिवृद्धि करना होंगे और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित के संवर्द्धन के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा:-

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन, जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य ढंग भी सम्मिलित हैं, की नवीन पद्धतियों और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन ;

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, देशभक्ति, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एवं नैतिकता समेकन।

Registrar
SKS International University
Mathura

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

11-विनियामक निकायों और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित किये जाने वाले दिशा-निर्देशों तथा प्रतिमानों के अध्यधीन विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तिया होंगी, अर्थात्:-

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे, में शिक्षण का उपबन्ध करना और शोध के लिये तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त उपबन्ध करना;

(ख) विद्या की ऐसी शाखाओं, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, में शिक्षण का उपबन्ध करना और शोध तथा ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त उपबन्ध करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर ऐमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करे, व्यक्तियों की परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण-पत्रों उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं को वापस लेना;

(ङ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से मानद उपाधियाँ या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) विनियामक प्राधिकरणों और राज्य सरकार के प्रतिमानों के अनुसार निदेशक पदों, आचार्य पदों, सह आचार्य पदों, सहायक आचार्य पदों और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य अध्यापन तथा शैक्षणिक पदों को संस्थित करना और तद्निमित्त नियुक्तियां करना ;

(छ) प्रशासकीय, लिपिकवर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(ज) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना या काम पर लगाना;

(झ) देश और विदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार्य करना, सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ञ) शोध और शिक्षा के लिए स्कूलों, केन्द्रों, विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य इकाइयों की स्थापना और अनुरक्षण करना, जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हो;

(ट) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ठ) आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवं कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना;

(ड) शोध और परामर्शी सेवाओं के लिए उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिए अन्य संस्थाओं या इकाइयों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझे;

Registrar
SKS International University
Mathura

(ढ) अधिनियम तथा परिनियमों के अनुसार यथा स्थिति संकाय, विभाग, केन्द्र या स्कूल स्थापित करना;

(ण) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए राज्य सरकार और अन्य विनियामक निकायों के अनुसार मानक अवधारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु परीक्षण की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित हो सकती है;

(त) फीस और अन्य प्रभारों की माँग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(थ) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा कि विश्वविद्यालय वांछनीय समझे;

(द) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और प्रवर्तित कराना और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा कि विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिए व्यवस्था करना;

(न) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और किसी चल या अचल सम्पत्ति का अर्जन, धारण और प्रबन्ध करना;

(प) यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किसी अचल सम्पत्ति का निस्तारण या उसमें उसका कोई अधिकार या हक होने या उस पर सृजित किसी देनदारी से उसे पृथक नहीं किया जायेगा;

(फ) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसे अभ्यागत आचार्यो, प्रतिष्ठित आचार्यो, परामर्शदाताओं, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम निदेशकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(ब) वाह्य अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और दायित्व ग्रहण करना; और

(भ) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों।

प्रवेश और शैक्षणिक मानक

12—(1) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों में प्रवेश, अधिनियम, तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार प्रवेश समिति द्वारा अवधारित किये जाने वाले प्रतिमानों के अनुसार किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षणिक मानक, विनियामक निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विनियामक निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिए होगा

13—विश्वविद्यालय सभी लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिए होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिए किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारिवृन्द सदस्य, छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिए या उसमें कोई पद धारण करने के लिए या वहॉ से स्नातक करने के लिए हक्कदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करे;

Registrar
SKS International University
Mathura

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों तथा सामान्य श्रेणी के नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती और किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण, समय-समय पर राज्य सरकार के आदेशों तथा दिशा-निर्देशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

14-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:— विश्वविद्यालय के अधिकारी

(1) कुलाधिपति या अध्यक्ष;

(2) प्रति कुलाधिपति या उपाध्यक्ष;

(3) कुलपति;

(4) प्रतिकुलपति;

(5) कुल सचिव;

(6) संकायों के संकायाध्यक्ष;

(7) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष;

(8) निदेशक;

(9) परीक्षा नियंत्रक;

(10) मुख्य कुलानुशासक;

(11) वित्त अधिकारी; और

(12) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा घोषित किये जायें, विश्वविद्यालय के अधिकारी, होंगे।

15-(1) कुलाधिपति/अध्यक्ष की नियुक्ति यथा विहित प्रक्रिया तथा निबन्धन एवं शर्तों का अनुसरण करते हुये पाँच वर्ष की अवधि के लिये शासी निकाय द्वारा की जायेगी। कुलाधिपति/अध्यक्ष

(2) कुलाधिपति/अध्यक्ष विश्वविद्यालय का प्रमुख होगा।

(3) कुलाधिपति/अध्यक्ष शासी निकाय की बैठकों तथा विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(4) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा, और ऐसी जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि कुलाधिपति/अध्यक्ष का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो शासी निकाय बहुमत के विनिश्चय से तद्‌निमित्त कारणों को अभिलिखित करते हुए लिखित आदेश द्वारा कुलाधिपति/अध्यक्ष से आदेश में विनिर्दिष्ट दिनांक से कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है, ऐसे मामलों में शासी निकाय की बैठक की अध्यक्षता प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष करेगा :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व कुलाधिपति/अध्यक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(5) कुलाधिपति/अध्यक्ष के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :—

(क) विश्वविद्यालय की कोई सूचना या अभिलेख की मांग करना ;

(ख) इस अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन कुलपति की नियुक्ति करना ;

(ग) इस अधिनियम एवं तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार कुलपति को हटाना;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियां, जैसा कि परिनियमावली द्वारा विहित किया जाय।

(6) कुलाधिपति/अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रतिकुलाधिपति/उपाध्यक्ष के वेतन की धनराशि से अनधिक दोगुनी धनराशि आहरित करेंगे।

Registrar
SKS International University
Mathura

38

प्रति–कुलपति या उपाध्यक्ष

16–(1) प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष की नियुक्ति, शासी निकाय के अनुमोदन से कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिये की जायेगी।

(2) कर्तव्यों के निर्वहन में प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष, क्रमशः कुलाधिपति/अध्यक्ष का सहयोग करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(3) कुलाधिपति/अध्यक्ष को सम्बोधित लिखित रूप में हस्ताक्षर द्वारा प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष अपने पद से त्याग–पत्र दे सकता है।

(4) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा रूप में और ऐसी जाँच, जो आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, कि प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष का बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो कुलाधिपति/अध्यक्ष शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से तदनिमित्त कारणों को उल्लिखित करते हुए, लिखित आदेश द्वारा प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष से आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक से अपना कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कार्यवाही करने के पूर्व प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(5) प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष ऐसा वेतन आहरित करेगा जो विश्वविद्यालय के कुलाधिपति/अध्यक्ष से कम होगा।

कुलपति

17–(1) कुलपति की नियुक्ति शासी निकाय के पूर्व अनुमोदन से कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा की जायेगी:

परन्तु यह कि कुलपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा।

(2) कुलपति पांच वर्ष की अवधि के लिये या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा।

(3) यदि किसी समय, प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने या अन्यथा रूप में और ऐसी जॉच, जैसा आवश्यक समझी जाय, करने के पश्चात ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, कि उसका कुलपति बना रहना विश्वविद्यालय के हित में न हो तो शासी निकाय, तदनिमित्त कारणों को उल्लिखित करते हुये कुलपति से आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक से लिखित आदेश द्वारा अपना पद छोड़ने के लिये कह सकता है :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई कार्यवाही करने के पूर्व कुलपति को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय के क्रिया कलापों का सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण करेगा और वह कार्यपरिषद् का अध्यक्ष होगा तथा अधिनियम तथा तदधीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों के उपबन्धों के अधीन किये गये कार्यपरिषद् तथा अन्य सक्षम निकायों तथा राज्य सरकार के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(5) कुलाधिपति/अध्यक्ष और प्रति कुलाधिपति/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कुलपति विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(6) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो जिसके लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियां प्रदत्त हों तो वह ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे तथा तत्पश्चात अपनी कार्यवाही की रिपोर्ट ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र देगा, जो साधारण प्रक्रम में तीस दिनों की अवधि के भीतर मामलों का निस्तारण करेगा:

परन्तु यह कि यदि सम्बन्धित अधिकारी या प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्यवाही कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी तो ऐसा मामला अध्यक्ष को विनिर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा।

Registrar
SKS International University
Mathura

(7) कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का संपादन करेगा जैसा कि अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा उपबंधित किया जाय।

18–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि परिनियमों द्वारा विहित किया जाय और अध्यादेशों और विनियमों में उपबंधित किया जाय। प्रति कुलपति

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति, जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन–प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन करने में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जैसा कि प्रायोजक निकाय द्वारा अवधारित किया जाय।

19–(1) कुलसचिव की अर्हताएं, पदावधि, सेवा शर्तें और नियुक्ति की प्रक्रिया ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय। कुलसचिव

(2) कुलसचिव के पास विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(3) कुलसचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मोहर की समुचित अभिरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा। वह शासी निकाय, कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् और प्रवेश समिति तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और वह समस्त ऐसी सूचना इन अधिकारियों के समक्ष रखने के लिये बाध्य होगा जो उनके संव्यवहार के लिये आवश्यक हो। वह परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों द्वारा यथा विहित कार्यपरिषद या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित अन्य कर्तव्यों का भी निष्पादन करेगा किन्तु उसे इस उपधारा के आधार पर मत देने का हक नहीं होगा।

20–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय। संकायाध्यक्ष

21–(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति, ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा कि विहित किया जाय। वित्त अधिकारी

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

22–छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्तियां तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किये जाएं। अन्य अधिकारी

23–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे:– विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

(1) शासी निकाय;
(2) कार्यपरिषद;
(3) विद्या परिषद;
(4) वित्त समिति;
(5) नियोजन बोर्ड;
(6) संकाय बोर्ड,
(7) अध्ययन बोर्ड,
(8) प्रवेश समिति
(9) परीक्षा समिति; और
(10) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जायं।

Registrar
SKS International University
Mathura

शासी निकाय

24-(1) शासी निकाय के गठन और सदस्यों का कार्यकाल ऐसा होगा, जैसा विहित किया जाय।

(2) कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा नियत दिनांक को शासी निकाय वर्ष में एक बार बैठक करेगा और ऐसी बैठक शासी निकाय की वार्षिक बैठक कही जायेगी :

परन्तु यह कि कुलाधिपति/अध्यक्ष, जैसा उचित समझे, शासी निकाय के कुल सदस्यों के अन्यून एक चौथाई सदस्यों द्वारा लिखित रूप में हस्ताक्षरित अध्यपेक्षा पर शासी निकाय की विशेष बैठक आयोजित कर सकता है।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन, शासी निकाय विश्वविद्यालय की परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा उसके पास निम्नांकित शक्तियां और कृत्य होगें, अर्थात :-

(क) विश्वविद्यालय की वृहद नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना और विश्वविद्यालय की कार्यपद्धति, सुधार और विकास हेतु उपाय सुझाना,

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखाओं और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा पर विचार करना और संकल्प पारित करना तथा अपना मत कार्यपरिषद् को उपलब्ध कराना ;

(ग) परामर्श हेतु सौंपे गये किसी मामले में अध्यक्ष को परामर्श देना;

(घ) अन्य कार्यों, जो विहित किये जायें, का निष्पादन करना।

कार्य परिषद

25-(1) कार्य परिषद विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगी।

(2) कार्यपरिषद् की बैठक उस प्रकार आयोजित की जायेगी जैसा कि विहित किया जाय।

(3) विश्वविद्यालय के प्रशासन, प्रबंध और नियंत्रण तथा उसकी आय, कार्यपरिषद में निहित होंगे, जो विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों और निधियों को नियंत्रित और शासित करेगी।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन कार्यपरिषद के पास निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे :-

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारित और नियंत्रित करना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम अथवा स्थावर सम्पत्ति को अर्जित करना ;

(तीन) परिनियमों एवं अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना अथवा उन्हें निरसित करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के निस्तारण पर रखी गयी किन्हीं निधियों को प्रशासित करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के बजट को अनुमोदित करना;

(छः) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिक संस्थित करना ;

Registrar
SKS International University
Mathura

(सात) विश्वविद्यालय के कुलसचिव, अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनकी सेवा के कर्तव्यों एवं शर्तों को परिभाषित करना ;

(आठ) परीक्षकों के मानदेय, परिलब्धियां और यात्रा तथा अन्य भत्तो नियत करना ;

(नौ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के निर्माण एवं प्रयोग का निदेश करना;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापन, प्रशासनिक एवं अन्य कर्मचारिवृन्द के मध्य परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन विनियमित तथा प्रवर्तित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की वित्त व्यवस्था, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति तथा अन्य समस्त प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध करना तथा उन्हें विनियमित करना;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन, जिसमें विन्यासित सम्पत्ति सम्मिलित है, का विनिधान करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर, उपस्कर, उपकरण और अन्य वांछित साधित्र प्रदान करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उसमें फेरबदल करना, उसे कार्यान्वित करना और रद्द करना;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य समस्त मामलों को विनियमित तथा अवधारित करना;

(5) कार्यपरिषद् का प्रत्येक विनिश्चय उसके कारणों सहित सूचित किया जायेगा।

(6) कुलपति कार्यपरिषद् का अध्यक्ष होगा, जो निम्नलिखित अन्य सदस्यों से गठित होगी अर्थात् :–

(एक) शासी निकाय द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन सदस्य;

(दो) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट दो प्रख्यात शिक्षा शास्त्री;

(तीन) राज्य सरकार का एक अधिकारी, जो संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की श्रेणी से नीचे का न हो;

(चार) एक वर्ष की अवधि के लिये ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में विश्वविद्यालय का एक आचार्य और एक सह आचार्य;

(पांच) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाने वाले तीन नामों के पैनल से सह आचार्य की श्रेणी से अनिम्न एक शिक्षा शास्त्री, जिसके लिये विश्वविद्यालय प्रख्यात शिक्षा शास्त्रीयों के तीन नामों की सूची प्रस्तुत करेगा;।

(छः) कुलसचिव पदेन सदस्य सचिव होगा;

(सात) वित्त अधिकारी को कार्यपरिषद् की कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु पक्ष में तथा अन्यथा रूप में बोलने का अधिकार होगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा;

Registrar
GLA University
Mathura

(7) कार्यपरिषद् की बैठक की गणपूर्ति छः सदस्यों से कम नहीं होगी।

(8) कार्यपरिषद् की किसी बैठक में विनिश्चय, उस बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किये जाएंगे :

परन्तु यह कि किसी प्रस्ताव के बराबर होने की स्थिति में कुलपति के समर्थन वाला प्रस्ताव अभिभावी होगा;

विद्या परिषद्

26–(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगी और उसका प्रयोग करेगी।

(2) विद्या परिषद् का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाएं।

वित्त समिति

27–(1) वित्त समिति, वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिए विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, उसकी शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

28–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचना और शैक्षणिक सहायता प्रणाली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य विनियामक निकायों के प्रतिमानों को पूरा करे।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

संकाय बोर्ड, अध्ययन बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण

29–संकाय परिषद, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरण, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण घोषित किये जाये, का गठन शक्तियॉ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जायं।

किसी निकाय की सदस्यता के लिए अनर्हता

30–कोई व्यक्ति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न होने से अनर्ह हो जायेगा, यदि वह :–

(1) मानसिक रूप से अस्वस्थ हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो/की गयी हो।

(2) अनन्मुक्त दिवालिया हो।

(3) नैतिक अद्यमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो/गयी हो।

(4) किसी परीक्षा के संचालन में किसी रूप में कहीं भी अनुचित आचरण का वढ़ावा देने में अथवा उसमें लिप्त होने, उसका संवर्द्धन करने के लिए दण्डित किया गया हो/की गयी हो।

(5) वेतन या किन्हीं अन्य प्राधिकृत परिलब्धियों के सिवाय विश्वविद्यालय से किसी लाभ का हेतुक हो।

(6) विश्वविद्यालय की निधि, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोजित करता/करती हो।

रिक्तियों से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

31–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का कोई विनिश्चय, कार्य या कार्यवाही उसमें कोई रिक्ति होने या उसके गठन में कोई त्रुटि होने के कारण ही अविधिमान्य नहीं होगी।

Registrar
SKS International University
Mathura

32–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा निकाय के किसी सदस्य की मृत्यु, त्याग–पत्र या उसे हटाये जाने के कारण अथवा हैसियत, जिसमें वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया था, में परिवर्तन किये जाने के कारण हुई किसी रिक्ति को यथाशीघ्र उस व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा जो ऐसे सदस्य को नियुक्ति या नामनिर्दिष्ट किया हो : आपात रिक्तियों का भरा जाना

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा निकाय के सदस्य के रूप में कोई आपात रिक्ति होने पर नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण अथवा निकाय का सदस्य केवल अवशेष अवधि तक के लिये बना रहेगा जिसके स्थान पर वह नियुक्त या नामनिर्दिष्ट किया गया हो।

33–विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अधिकारी अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के अनुरूप ऐसी समितियों या उप समिति का गठन, ऐसे निर्देश–निबन्धों के साथ, जैसा कि ऐसी समितियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले विनिर्दिष्ट कार्यों हेतु आवश्यक हो, कर सकते हैं। ऐसी समिति या उप समिति का गठन तथा उनके कर्तव्य वही होंगे जैसा कि समिति या उप समिति का गठन करने वाले प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा विनिश्चय किया जाय। समितियाँ

34–(1)इस अधिनियम के अधीन स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियां कार्यपरिषद् द्वारा बनायी जायेंगी और राज्य सरकार को उनका अनुमोदन किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। परिनियमावली बनाने की शक्ति

(2) सरकार विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रथम परिनियमावली पर विचार करेगी और इसकी प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर अनुमोदित करेगी। यदि राज्य सरकार उपरोक्त उल्लिखित समय के भीतर तत्सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों को अनुमोदित नहीं करती है अथवा उन्हें विश्वविद्यालय को संसूचित नहीं करती है, तो इस प्रकार प्रस्तुत की गयी परिनियमावली अनुमोदित समझी जायेगी।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमावली में निम्नलिखित सभी या कोई विषय उपबन्धित किये जा सकते हैं/किया जा सकता है, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, जैसा कि समय–समय पर गठित किया जाय, का गठन उनकी शक्तियाँ और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पद पर निरन्तर बना रहना उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकरणों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामलें, जिनके लिए उपबन्ध किया जाना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियाँ और कृत्य उनकी परिलब्धियाँ ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक तथा प्रशासनिक कर्मचारिवृंद की नियुवित और उनकी परिलब्धियाँ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारिवृंद की, एक संयुक्त परियोजना का दायित्व ग्रहण करने के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिएं नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिनमें सेवानैवृत्तिक प्रसुविधाएं, बीमा और भविष्य निधि, उनकी सेवा समाप्ति की रीति और अनुशासनात्मक मामलें सम्मिलित हैं;

Registrar
SKS International University
Mathura

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धान्त;

(ज) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों या छात्रों के मध्य विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के किसी कार्यवाही के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन बनाये रखना;

(ढ) विश्वविद्यालय के परिसर के भीतर विभागों, केन्द्रों और अन्य संस्थाओं आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी विषय, जो इस अधिनियम के अनुसार हों या विहित किये जायं।

(4) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम न तो बनायेगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में राय व्यक्त करने का अवसर न दिया जाय और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

35–इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेश, कार्य परिषद द्वारा बनाये जायेंगे, जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण–पत्रों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियाँ प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु तथा परीक्षाओं में प्रवेश, उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाण–पत्रों हेतु प्रभार्य शुल्क का निर्धारण;

(च) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्तें;

Registrar
SKS International University
Mathura

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी हैं;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिए परिनियमों में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियाँ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों, जिसके अन्तर्गत व्यावसायिक निकाय या संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक महत्ता में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाय, का सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हों।

वार्षिक रिपोर्ट

36–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनॉक को जैसा विहित किया जाय, शासी निकाय को प्रस्तुत किया जायेगा और शासी निकाय अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा ;

(2) शासी निकाय वार्षिक रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणियाँ कार्य परिषद को उसके विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

वार्षिक लेखा

37–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और उनकी लेखा–परीक्षा, प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, अनधिक पन्द्रह माह के अन्तराल पर करायी जायेगी।

(2) लेखा–परीक्षा रिपोर्ट सहित वार्षिक/लेखाओं की प्रति, कार्य परिषद के प्रेक्षणों के साथ शासी निकाय और कुलाधिपति/अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी।

(3) कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा वार्षिक लेखाओं पर किये गये कोई प्रेक्षण, शासी निकाय और कार्य परिषद के संज्ञान में लाये जायेंगे और ऐसे प्रेक्षणों, यदि कोई हों, पर कार्य परिषद द्वारा पुनरीक्षण किये जाने के पश्चात् उन्हें कुलाधिपति/अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उन्हें सार्वजनिक कर दिया जायेगा।

Registrar
GLA University
Mathura

कर्मचारियों की सेवा शर्तें

38–(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और किसी नियमित कर्मचारी के मध्य उठने वाला कोई विवाद कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जो इसके निर्देश की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात् विवाद पर विनिश्चय करेगा।

(3) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उस पर उसका विनिश्चय, कुलपति द्वारा किया जायेगा।

अपील करने का अधिकार

39-(1)कोई व्यथित व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी विनिश्चय के विरूद्ध अपील ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह की अवधि के भीतर, कुलाधिपति/अध्यक्ष को कर सकता है :

परन्तु यह कि कुलाधिपति/अध्यक्ष के पास विलम्ब के लिये माफी देने की शक्ति होगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि पर्याप्त कारणों से अपीलार्थी नियत समय के भीतर अपनी अपील नही कर सका था।

(2) ऐसी किसी अपील में कुलाधिपति/अध्यक्ष द्वारा किया गया कोई विनिश्चय अंतिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

40-विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसा कि कार्य परिषद द्वारा विनिश्चत किया जाये, ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजनायें या भविष्य निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा योजनाओं का उपबन्ध करेगा, जैसा वह उचित समझे।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की रीति

41-विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज, जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हों, को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रुप में ग्रहण किया जायेगा और उसमे अभिलिखित विषय और संव्यहरण उसी रूप में साक्ष्य के रुप में ग्रहण किये जायेंगे जहां वे यदि मूल रूप में प्रस्तुत किये जाते तो साक्ष्य के रूप में ग्रहण होते।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का प्रकाशन

42-इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित किये जायेंगे।

स्थायी विन्यास निधि

43-(1) प्रायोजक निकाय कम से कम 5 (पांच) करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगी।

(2) स्थायी विन्यास निधि का उपयोग, प्रतिभूति धनराशि के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिये किया जायेगा कि विश्वविद्यालय इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन कर रहा है तथा इस अधिनियम, परिनियमों एवं अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रहा है। विश्वविद्यालय अथवा प्रायोजक निकाय द्वारा इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने की दशा में राज्य सरकार के पास विन्यास निधि के किसी भाग अथवा सम्पूर्ण भाग को समपहृत करने की शक्ति निहित होगी।

(3) विश्वविद्यालय विन्यास निधि से होने वाली आय का उपयोग विश्वविद्यालय के अवसंरचनाओं के विकास हेतु अथवा विश्वविद्यालय के आवर्तक व्यय की पूर्ति हेतु कर सकता है।

Registrar
SKS International University
Mathura

(4) विन्यास निधि की धनराशि को ऐसी लिखतों जैसा कि राज्य सरकार नियमावली द्वारा विहित करे, में विनिधानित की जायेगी और विश्वविद्यालय के विघटन तक विनिधानित रखी जायेगी।

(5) दीर्घ अवधि की प्रतिभूति में विनिधान किये जाने के मामले में और राजकीय कोषागार के वैयक्तिक जमा लेखों में ब्याज जमा किये जाने के मामले में जमा इस शर्त के साथ किया जायेगा कि राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के विना उक्त धनराशि का आहरण या उपयोग नहीं किया जायेगा।

सामान्य निधि

44–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी अर्थात :–

(क) समस्त शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किये जा सकते हैं ;

(ख) किन्हीं अन्य स्रोतों से प्राप्त समस्त धनराशियां;

(ग) सोसाइटी द्वारा किये गये सभी अंशदान; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकायों जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हों, द्वारा इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ;

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग, विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों की पूर्ति के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

45–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) विकास शुल्क, जो छात्रों से प्रभारित किये जा सकते हैं ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए अन्य स्रोतों से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि;

(ग) प्रायोजक निकाय द्वारा किये गये सभी अंशदान;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकायों, जो तत्समय प्रवृत किसी विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हों, द्वारा इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायेगा।

निधियों का अनुरक्षण

46–इस अधिनियम के अधीन स्थापित सभी निधियॉं कार्य परिषद के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन यथा विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित की जायेंगी।

विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित होगा

47–विश्वविद्यालय, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिये पात्र नहीं होगा।

शुल्क

48–समस्त प्रयोजनों के लिये शुल्क संरचना का विनिश्चय कार्य परिषद द्वारा किया जायेगा परन्तु यह कि विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के किसी विद्यमान विधि के अधीन अपेक्षित अथवा विनियामक निकायों द्वारा यथा नियत शुल्क से अधिक शुल्क अपने छात्रों से प्रभारित नहीं करेगा और शुल्क संरचना सार्वजनिक रूप में रखी जायेगी।

Registrar
SKS International University
Mathura

48

विश्वविद्यालय का प्रत्यायन

49–प्रोग्रामों के प्रारंभ होने के पाँच वर्षों की अवधि के भीतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का प्रत्यायन तथा ऐसे अन्य प्रत्यायन, जो सरकार द्वारा समय–समय पर विहित किये जायें, प्राप्त करेगा। वह ऐसे अन्य विनियामक निकायों जो विश्वविद्यालय द्वारा ग्रहण किये गये पाठ्यक्रमों से सम्बन्धित हो, से भी प्रमाणन/प्रत्यायन प्राप्त करेगा। वह विश्वविद्यालयों को प्रदान किये गये ग्रेड के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सूचित करेगा। विश्वविद्यालय समय–समय पर ऐसे प्रत्यायन का नवीकरण सुनिश्चित करेगा।

दीक्षान्त समारोह

50–उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिये विनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों द्वारा यथा विहित रीति से प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का आयोजन किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, निजी विश्वविद्यालयों के लिये नोडल अभिकरण होगी

51–(1) इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों तथा विनियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, नोडल अभिकरण होगी।

(2) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट छात्रों के अभिलेख, उनके परिणाम और परीक्षा में सम्मिलित न होने वाले छात्रो के अभिलेख, उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् को उपलब्ध कराये जायेंगे। छात्रों को अंतिम उपाधि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद् के अनुमोदन से प्रदत्त की जायेगी। उपाधि प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम दीक्षान्त समारोह के दिनांक से 30 दिन पूर्व उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा परिषद को प्रस्तुत किये जायेंगे और परिषद उक्त सूची को अनुमोदित करेगी। यदि 20 दिन के भीतर परिषद के अनुमोदन की संसूचना, विश्वविद्यालय को नहीं दी जाती है तो सूची अनुमोदित की गयी समझी जायेगी।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा अधिकारी से विश्वविद्यालय से सम्बन्धित किसी सूचना या अभिलेखों को विनिर्दिष्ट दिनांक एवं समय के भीतर उपलब्ध कराने के लिये कह सकता है, जिससे विफल होने पर उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, समुचित कार्यवाही हेतु राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रेषित कर सकती है।

(4) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् इस अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों का कम से कम एक वार्षिक निरीक्षण करेगी और विनिर्दिष्ट रूप से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन दी गयी वचनबद्धता के अनुपालन के सम्बन्ध में अपनी वार्षिक निरीक्षण रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

सूचना और अभिलेखों की माँग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियाँ

52–(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्त व्यवस्था और अन्य मामलों या क्रियाकलापों आदि से सम्बन्धित सूचना या अभिलेखों को प्रस्तुत करे जैसा कि राज्य सरकार द्वारा मांग की जाय।

(2) यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन बनाये गये परिनियमों का उल्लंघन हुआ है तो वह इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे और विश्वविद्यालय निर्धारित समय के भीतर ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

Registrar
SKS International University
Mathura

53–(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन या निगमन को शासित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम एक वर्ष की लिखित नोटिस देगा। विश्वविद्यालय का विघटन

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित पाठयक्रमों में छात्रों के अन्तिम बैच द्वारा अपने पाठयक्रमों को पूरा करने तक विश्वविद्यालय ऐसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

54–(1) अधिनियम की धारा 53 के अधीन विश्वविद्यालय के देनदारियों को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय की पूर्ति स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से की जायेगी। विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

(2) यदि इस प्रक्रिया के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियाँ, विश्वविद्यालय के व्यय और देनदारियों को पूरा करने के लिये पर्याप्त न हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों तथा आस्तियों का निस्तारण करके की जा सकती है।

55–(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन बनाये गये विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किसी निदेश का उल्लंघन किया है या धारा 3 के अधीन प्रदत्त किसी वचनबद्धता को क्रियान्वित करने से प्रविरत हो गया है या निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरूपयोग किया गया हो तो वह उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को प्रारंभिक जाँच संचालित करने के लिये निर्देश जारी कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्गत निदेश पर विश्वविद्यालय की जाँच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के समस्त या किसी उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी निदेशों का अतिक्रमण हुआ है या धारा 3 के अधीन प्रदत्त वचनबद्धता क्रियान्वित नहीं की जा रही है या निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरूपयोग किया गया हो तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जैसा कि वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिये, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या समिति को, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के अभिकथनों की जांच करने के लिये, नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जांच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का, विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों में, विचारण के दौरान सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियां होगी, अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(घ) शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; और

(ङ) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाय।

Registrar
SKS International University
Mathura

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया है तथा तदनिमित्त सुधारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट समय के भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये, आवश्यक सुधार करने के निदेश विश्वविद्यालय को देगी। यदि विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे निदेशों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो राज्य सरकार, विश्वविद्यालय के ऐसे निदेश जारी करने के पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर आवश्यक सुधार या उपान्तरण करने हेतु पुनः निदेश दे सकती है;

(6) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त जाँच अधिकारी अथवा जाँच समिति से जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों या अध्यादेशों या विनियमों के सभी अथवा किसी उपबंध का अतिक्रमण किया है अथवा उपर्युक्त उपधारा (5) के अधीन जारी निदेशों सहित इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन किया है अथवा धारा 3 के अधीन उसके द्वारा दी गयी वचनबद्धताओं का पालन करने से प्रविरत हो गया है या विश्वविद्यालय में निधियों का कपट या दुर्विनियोग या गंभीर दुरुपयोग किया गया हो, जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानक पर संकट उत्पन्न हो गया हो तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय के परिसमापन हेतु उक्त अवधि में विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को संचालित करने हेतु त्रिसदस्यीय अन्तरिम समिति नियुक्त करेगी।

(7) (एक) उपधारा (6) के अधीन नियुक्त अन्तरिम समिति को विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को तब तक प्रशासित करने की समस्त शक्तियां होंगी जब तक कि नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों का अंतिम बैच अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर लेता है और उस बैच के छात्रों को यथा स्थिति डिग्रियां, डिप्लोमा या पुरस्कार नहीं प्रदान कर दिये जाते हैं ;

(दो) नियमित पाठ्यक्रमों के छात्रों के अंतिम बैच को यथा स्थिति उपाधि, डिप्लोमा एवं पुरस्कार, प्रदान कर दिये जाने के पश्चात अन्तरिम समिति राज्य सरकार को इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी;

(तीन) उपधारा (7) (दो) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, शासकीय गजट में, अधिसूचना द्वारा, विश्वविद्यालय के विघटन का आदेश जारी करेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विश्वविद्यालय विघटित हुआ माना जायेगा और विश्वविद्यालय की समस्त शेष आस्तियां एवं देनदारियां उक्त दिनांक से प्रायोजक निकाय में निहित हो जायेंगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

56-राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को ऐसे नीति विषयक मामलों में निदेश जारी कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हों, जैसा वह आवश्यक समझे। ऐसे निदेश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा, जिसमें विफल होने पर राज्य सरकार इस अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय के विरुद्ध युक्तियुक्त कार्यवाही कर सकती है।

विघटन / मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियाँ / देनदारियों की प्रास्थिति

57-अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी उपबन्ध के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त अवशिष्ट आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ, जिनमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि तथा देनदारियाँ सम्मिलित हैं, प्रायोजक निकाय से संबंधित हो जायेंगे।

Registrar
SKS International University
Mathura

58-(1) इस अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है। नियमावली बनाने की शक्ति

(2) पूर्वगामी उपबन्धों की व्यापकता प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई उपबन्ध हो सकता है/हो सकते हैं :-

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना करने और संदेय आवेदन शुल्क का प्रस्ताव बनाने की रीति ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन परियोजना रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट किये जाने वाले अन्य विवरण;

(ग) अन्य मामले, जो इस अधिनियम के अधीन नियमावली द्वारा विहित किये जायं या हो सकते हैं।

59-(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः वैयक्तिक निजी विश्वविद्यालय अधिनियमों के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रति संक्रमण के संबंध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध आदेश में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे अनुकूलनों के अध्यधीन चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रुप मे हो जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे: कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

परन्तु यह कि इस अधिनियम के आरम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश, उसके दिये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

60-अधिनियम में किये गये उपबन्धों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले समस्त विवादों का निपटारा उत्तर प्रदेश राज्य के किसी न्यायालय द्वारा किया जायेगा। विवादों का निपटारा उत्तर प्रदेश के किसी न्यायालय में किया जायेगा

61-इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के उपबन्ध विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त राज्य विधान मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल बात होते हुये भी प्रभावी होंगे। अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा

62-(1) इस अधिनियम की अनुसूची 1 में पुनर्संख्यांकित समस्त अधिनियम इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर निरसित समझे जायेंगे। निरसन और व्यावृत्तियां

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित अनुसूची 1 में पुनर्संख्यांकित अधिनियमों के निरसित होते हुये भी निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये समस्त विनिश्चय निष्पादित अधिनियम, सृजित तथा समापाकृत अधिकार तथा दायित्व इस अधिनियम के अधीन विधिमान समझे जायेंगे।

(3) इस अधिनियम में निगमित किये गये विश्वविद्यालय अपने सम्बन्धित निरसित अधिनियमों के अधीन अपने परिनियमों, अध्यादेशों और तदनिमित्त प्रयोज्य विनियमों में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप उन्हें संगत बनाये जाने हेतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के भीतर रुपान्तर करेंगे।

63-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी उत्तर प्रदेश राज्य के धार्मिक या भाषायी अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, भारत का संविधान के अनुच्छेद 30 द्वारा यथा प्रत्याभूत विशेषाधिकार प्राप्त करते रहेंगे। अल्पसंख्यक निजी विश्वविद्यालय

Registrar
SKS International University
Mathura

52

अनुसूची–1

(धारा-8 देखें)

क्र0	अधिनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम
1–	इंटीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2004), अधिसूचना दिनांक 27.02.2004	इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2–	द एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2005), अधिसूचना दिनांक 24.3.2005	एमिटी विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
3–	मंगलायतन विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006) अधिसूचना दिनांक 30.10.2006	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
4–	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
5–	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
6–	शारदा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009), अधिसूचना दिनांक 24.3.2009	शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7–	जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
8–	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।
9–	मोनाड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	मोनाड विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
10–	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
11–	आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, ओंकार धाम लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
12–	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला जे0पी0 नगर।
13–	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14–	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 07.4.2011	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर।
15–	शिवनाडर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2011) अधिसूचना दिनांक 21.6.2011	शिवनाडर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतमबुद्धनगर।
16–	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 04.7.2012	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी।
17–	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 19.6.2006	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर।
18–	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.7.2012	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, सहारनपुर।
19–	रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 10.01.2014	रामा विश्वविद्यालय, कानपुर।
20–	शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012	शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर।
21–	जेपी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2014, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 04.3.2014	जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर उत्तर प्रदेश।
22–	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2015), अधिसूचना दिनांक 24.6.2015	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
23–	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 03.10.2016	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
24–	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर,
25–	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2016) अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली।
26–	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा।
27–	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

Registrar
SKS International University
Mathura

अनुसूची–2

(धारा 7 देखें)

क्र0	अधिनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम
1–	इंटीग्रल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2004), अधिसूचना दिनांक 27.02.2004	इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, लखनऊ।
2–	द एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2005), अधिसूचना दिनांक 24.3.2005	एमिटी विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
3–	मंगलायतन विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2006, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2006) अधिसूचना दिनांक 30.10.2006	मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।
4–	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
5–	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2008), अधिसूचना दिनांक 05.9.2008	तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।
6–	शारदा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2009), अधिसूचना दिनांक 24.3.2009	शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
7–	जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश।
8–	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 01.9.2010	इन्वर्टिस विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश।
9–	मोनाड विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	मोनाड विश्वविद्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
10–	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी, गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।
11–	आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	आई0एफ0टी0एम0 विश्वविद्यालय, ओंकार धाम लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
12–	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय, गजरौला जे0पी0 नगर।
13–	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2010, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2010), अधिसूचना दिनांक 12.10.2010	बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय, लखनऊ।
14–	गलगोटियाज विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2011), अधिसूचना दिनांक 07.4.2011	गलगोटियाज़ विश्वविद्यालय, गौतमबुद्धनगर।
15–	शिवनाडर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2011) अधिसूचना दिनांक 21.6.2011	शिवनाडर विश्वविद्यालय, दादरी, गौतमबुद्धनगर।
16–	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 04.7.2012	श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, बाराबंकी।
17–	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 2006), अधिसूचना दिनांक 19.6.2006	मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय, रामपुर।
18–	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी , उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.7.2012	द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, अली अकबरपुर, सहारनपुर।
19–	रामा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 10.01.2014	रामा विश्वविद्यालय, कानपुर।
20–	शोभित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2012), अधिसूचना दिनांक 05.07.2012	शोभित विश्वविद्यालय गंगोह, सहारनपुर।
21–	जेपी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2014, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2014), अधिसूचना दिनांक 04.3.2014	जेपी विश्वविद्यालय, अनूपशहर उत्तर प्रदेश।
22–	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2015), अधिसूचना दिनांक 24.6.2015	जे0एस0 विश्वविद्यालय, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद।
23–	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 03.10.2016	आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
24–	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
25–	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 2016) अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	बरेली इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, बरेली।
26–	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	संस्कृति विश्वविद्यालय, छाता, मथुरा।
27–	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2016, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन् 2016), अधिसूचना दिनांक 16.9.2016	एरा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

Registrar
SKS International University
Mathura

उद्देश्य और कारण

शासनादेश, दिनांक 06 फरवरी, 2008 के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न राज्य अधिनियमों द्वारा सत्ताइस निजी विश्वविद्यालय स्थापित एवं निगमित किये गये हैं। चूंकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न अधिनियमों में विभिन्न उपबंध हैं और ऐसे निजी विश्वविद्यालयों के अनुश्रवण हेतु कोई समान उपबन्ध नहीं हैं। अतः सूचना तथा अभिलेख संग्रहीत करने और उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के मानकों को क्रियान्वित करने हेतु राज्य सरकार की नीतियों को क्रियान्वित करना तथा उन्हें प्रवृत्त करना कठिन हो गया है।

अतएव किसी एक ही विधि के अधीन समस्त निजी विश्वविद्यालयों को शासित करने हेतु एक अम्ब्रेला अधिनियम बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
जे0 पी0 सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 1451(2)/LXXIX-V-1-19-1(Ka)11-19
Dated Lucknow, August 6, 2019

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Niji Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2019 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2019) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 5, 2019. The Uchcha Shiksha Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH PRIVATE UNIVERSITIES ACT, 2019

(U.P. Act no. 12 of 2019)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to provide for establishment of new Private Universities and incorporation of existing Private Universities in the State of Uttar Pradesh under this Act for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventieth Year of the Republic of India as follows: -

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019.

(2) It shall extend to whole of the State of Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

Registrar
SKS International University
Mathura

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions

(a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;

(b) "AICTE" means All India Council for Technical Education established under section 3 of the all India Council for Technical Education Act, 1987;

(c) "Board" means the Board of Faculties, Board of Studies and the Planning Board, or any other Board of the University;

(d) "CSIR" means the Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi, a funding agency of Central Government;

(e) "Department" means a Department of Studies and includes a Centre of Studies and Research;

(f) "Director" means the Head of an "Institute", "Centre" or "School", or the person appointed for the purpose to act as such in his absence;

(g) "DST" means the Department of Science and Technology of the Central Government;

(h) "Employee" shall include teaching and non teaching staff of the University;

(i) "Executive Council" means the Executive Council of the University;

(j) "Faculty" means a Faculty of the University;

(k) "Governing Body " means a committee constituted by the sponsoring body;

(l) "Hostel" means "Scholars/Students" Hostel of the University;

(m) "ICAR" means the Indian Council of Agricultural Research;

(n) "Institute/School" means an Institute or School established by the University in accordance with this Act and the Statutes;

(o) "MCI" means Medical Council of India constituted under the Medical Council Act, 1956;

(p) "Minority Private University" means a Private University established by a religious or linguistic minority of the State of Uttar Pradesh;

(q) "NAAC" means the National Assessment and Accreditation Council;

(r) "NCC" means National Cadet Corps;

(s) "NCTE" means the National Council for Teacher Education under the National Council for Teacher Education Act, 1993;

(t) "NSS" means National Service Scheme;

(u) "PCI" means Pharmacy Council of India constituted under section 4 of the Pharmacy Act, 1948;

(v) "Chancellor or President", "Pro-Chancellor or Vice-President", "Vice-Chancellor" and "Pro-Vice-Chancellor" means respectively the "Chancellor" or "President", the "Pro-Chancellor or Vice-President" the "Vice-Chancellor" the "Pro-Vice-Chancellor" of the University;

(w) "Prescribed" means prescribed by Statutes;

(x) "Records and Publications" means the Records and Publications of the University;

Registrar
SKS International University
Mathura

(y) "Regulatory Body" means the statutory bodies established by the Central Government from time to time such as University Grants Commission and includes the All India Council for Technical Education, the Bar Council of India, the Distance Education Council, the Dental Council of India, the Indian Nursing Council, the Medical Council of India, the National Council for Teacher Education, Central Council for Indian Medicine, the Pharmacy Council of India;

(z) "Schedule" means schedule appended to this Act;

(aa) "Sponsoring body" in relation to a University established under this Act means :–

(i) a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860);

(ii) any public trust registered under the Indian Trusts Act, 1882 (Act no. 2 of 1882);

or

(iii) a company registered under the Companies Act, 2013 (Act no. 8 of 2013);

(ab) "Statutes", "Ordinances" and "Regulations" means respectively, the Statutes, the Ordinances and the Regulations of the University for the time being in force;

(ac) "Student" means a student enrolled with the University;

(ad) "Teacher of the University" means Professors, Associate Professors, Assistant Professors, and such other persons as may be appointed for imparting education instructions, or conducting research in the University and are designated as Teachers by the Ordinances;

(ae) "Treasurer", "Registrar", "Finance Officer", "Controller of Examinations", "Librarian" or, "Proctor" means respectively the Treasurer, the Registrar, the Finance Officer, the Controller of Examinations, the Librarian or the Proctor of the University;

(af) "UGC" means University Grants Commission established under section 4 of the University Grant Commission Act, 1956;

(ag) "University" means a Private University established or incorporated under this Act.

Conditions for the establishment of the University

3. The sponsoring body shall, for the purposes of establishing the University under this Act, fulfill the following conditions, namely:-

(a) create a Permanent Endowment fund with minimum of Rs. 05 (five) crore;

(b) duly possess contiguous land of minimum twenty acres in urban areas or fifty acres in rural areas earmarked for the University:

Provided that, the sponsoring body shall not sell, transfer or lease out such land or any part thereof and also shall not use it for any purpose other than the purposes mentioned in this Act for the functioning of the University:

Provided further that such land shall not be mortgaged to any person other than a bank or financial institution established under any law for the time being in force for any purpose other than availing loan for establishing the University;

Registrar
SKS International University
Mathura

(c) construct on land referred to in clause (b) buildings of at least twenty four thousand sq. metres carpet area, out of which minimum fifty per cent shall be utilized for academic and administrative purposes;

(d) install equipments, computers, furniture, assets, infrastructural facilities other than building mentioned in clause (b), and other consumables and non consumables of minimum Rs. 2 (two) crore in offices and laboratories in the building referred to in clause (b); and an undertaking of procuring the computers, furniture, assets, infrastructural facilities [other than building mentioned in (b) above] and other consumables and non consumables of minimum Rs 6 (Six) crore in the next 5 years;

(e) appoint Professors, Associate Professors and Assistant Professors as prescribed by the regulatory bodies and supporting staff members in every department or discipline. At least seventy five per cent of the regular teachers in each department/discipline shall be regular employees of the University;

(f) purchase of books, periodicals and online resources worth Rs. ten lakh every year in the library:

Provided that in case of shortfall of expenditure to Rs ten lakh it shall be met in the next year;

(g) arrange co-curricular Activities, extracurricular Activities, debates, competitions, quiz programs, sports, NSS and NCC for the students as per the standards of regulatory bodies;

(h) conform to standards, conditions and Regulations set by UGC, AICTE, NCTE, BCI and other regulatory bodies established by the State Government or Central Government;

(i) establish a provident fund for the employees and teachers of the University and to introduce other welfare schemes;

(j) make the Statutes, Ordinances and Regulations for the administration and functioning of the University;

(k) any arrangements made by the University shall not be inconsistent to the provisions of this Act and regulations of the regulatory bodies;

(l) to ensure transparent functioning of the University and shall put the clearances obtained from the Regulatory Bodies in the public domain;

(m) furnish information to the State Government as per format and periodicity required by the State Government;

(n) comply with the norms set up by the State Government for common academic calendar, anti copying measures, admissions, examinations, degrees and certificates *etc.* ;

(o) the transparent procedure and standard of admissions and fee structure in the University shall be decided and placed in the public domain before the start of the admission process. The last date of admission shall be as per the common academic calendar ;

Admission policy of foreign students shall be decided by the Executive Council of the University and shall be consistent with the standards laid down by the State Government and Regulatory Bodies ;

(p) follow the Common academic calendar as may be prescribed ; and

(q) to undertake to fulfill such other conditions consistent with this Act as may be laid down by the State Government before the establishment of the University;

Registrar
SKS International University
Mathura

(r) to undertake neither to be involved nor to permit anyone to cause or promote anti-national activities inside the campus of the University or under the name of the University. In case of any such activity found in the University, it shall be considered as a major violation of the conditions of setting up the University and the Government may take action according to the provisions under this Act or any law for the time being in force.

Submission of proposal for establishment of a new University

4. (1) An application containing the proposal and the project report to establish a University shall be made by the sponsoring body to the State Government along with application fee as may be fixed by the State Government from time to time.

(2) The project report must contain the following particulars, namely:-

(a) the details of the sponsoring body along with copies of its registration certificate and bye-laws duly certified by its competent authority;

(b) the information regarding financial resources of the sponsoring body along with audited accounts for the past three years;

(c) the name and location of the proposed University;

(d) the objectives of the University;

(e) the availability of land and details of buildings and infrastructure facilities, if the same already exists, and details of land, building and other infrastructure proposed to be owned or created;

(f) the nature and the type of programmes of study and research proposed to be undertaken by the University and their relevance to the development goals and employment needs of the State and phasing of such programmes over the first five years with course-wise enrolment targets;

(g) details of proposed academic facilities including teaching and non-teaching staff ;

(h) facilities, courses of study and research proposed to be started;

(i) the experience and expertise in the concerned disciplines available with the sponsoring body;

(j) the details of plans for campus development such as construction of buildings, development of structural amenities and infrastructure facilities and procurement of equipment *etc.* to be undertaken before the University starts functioning and phased programmes for the first five years;

(k) the phased outlays of capital expenditure proposed for the next five years;

(l) the sources of funds along with the scheme for mobilizing resources, the cost of capital thereto and the manner of repayment to such sources;

(m) the system proposed to be followed for selecting students for admission to the courses of study at the University in the first year of operation;

(n) the system proposed to be followed for appointment of teachers and other employees in the University;

(o) whether the University proposes to undertake some programmes related to local needs. If so, the nature of specialized teaching, training or research Activities to be undertaken by the University so as to fulfil this objective;

(p) whether the University proposes to start some programmes for the benefit of farmers, women and local industries, if so, details thereof may be given;

Registrar
SKS International University
Mathura

(q) details of play grounds and other facilities available or proposed to be created for games and sports and extra curricular activities like National Cadet Corps, National Service Scheme, Rover and Rangers *etc*;

(r) the arrangements proposed to be made for academic excellence, if any;

(s) such other details as the sponsoring body may like to give;

(t) such other details as may be decided by the State Government from time to time.

Evaluation of proposals by evaluation committee

5. (1) The Higher Education Department of the State Government on receipt of the proposal along with the project report for establishment of a University shall constitute a committee consisting of :—

(a) one Vice-Chancellor of any of the State Universities established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973;

(b) one Professor of a State University nominated by the State Government;

(c) one officer to the Government of Uttar Pradesh not below the rank of Joint Secretary;

(d) one Officer of Finance and Account Services of Uttar Pradesh not below the rank of Joint Director;

(e) one officer nominated by the District Magistrate of the District concerned not below the rank of Sub-divisional Magistrate;

(f) one Registrar of a University established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 to be nominated by the State Government.

(2) The committee shall consider the proposal and the project report together with the financial soundness and assets of the sponsoring body and its overall ability to set up the proposed University.

(3) The committee, while considering the proposal and the project report may call for such other information from the sponsoring body as it thinks proper for the purpose.

(4) The committee shall submit its report to the Higher Education Department of the State Government within a period of three months from the date of its constitution:

Provided that if the Committee could not submit its report within the said three months period for any sufficient reasons to be recorded in writing, it may submit its report to the Higher Education Department of the State Government within further one month or such period as may be permitted by the State Government:

Provided further that the inspections carried out by any committee constituted under the orders of the State Government before the commencement of this Act shall be deemed to be the inspection carried out by the evaluation committee constituted under sub-section (1) above.

Issuance of letter of intent and submission of compliance report by sponsoring body

6. (1) After the receipt of the report of the committee constituted under section 5, if the State Government is satisfied that it is proper to establish the University, it may issue a 'Letter of Intent'.

(2) The sponsoring body shall fulfill the requirements and conditions specified in section 3 and shall submit to the State Government compliance report thereof supported by an affidavit within a maximum period of two years from the date of issue of the letter of intent.

(3) If the sponsoring body fails to comply with the provisions of section 3, the State Government shall have power to withdraw the letter of intent issued to the sponsoring body.

Registrar
GLA International University
Mathura

Establishment or incorporation of a new University.

7. (1) The State Government, if satisfied, after considering the compliance report submitted under section 3 that the sponsoring body has complied with the provisions of sub-section (1) of section 6, may, by a notification published in the *Gazette* permit the University to operate with such name and location as per the letter of Intent.

(2) Names of the new Universities to be established under this Act shall be included in Schedule-2 by amending this Act.

(3) After its establishment, the name of the newly established University shall be mentioned by the State Government at the next serial number below the last University mentioned in the Scheduled-2 appended this Act.

(4) Every University established or incorporated under this Act shall be a body corporate.

Incorporation of the existing Universities

8. On the commencement of this Act the existing Universities enumerated in Schedule-I shall stand incorporated under this Act.

Prohibition for affiliation

9. The University shall not admit any college or institution to the privilege of affiliation.

Objects of the University

10. The objects of the University shall be to disseminate and ensure advancement of knowledge and skill for providing instructional, research and extension facilities in such branches of learning as it may deem fit and the University shall endeavour to provide to students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of :-

(a) innovations in education, leading to restructuring of courses, new methods of teaching, training and learning including online learning, blended learning, continuing education and such other modes and integrated and wholesome development of personality;

(b) studies in various disciplines;

(c) interdisciplinary studies;

(d) national integration, patriotism, secularism, social equity and inculcation of international understanding and ethics.

Powers of the University

11. Subject to the guidelines and norms as prescribed by the Regulatory Bodies and the State Government from time to time the University shall have the powers, -

(a) to provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills;

(b) to provide for instruction in such branches of learning as the University may think fit and to make provisions for research and for the advancement and dissemination of knowledge;

(c) to honour educational stalwarts and persons of academic eminence with designation of professor Emeritus;

(d) to grant, subject to such conditions as the University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing of persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause;

Registrar
SKS International University
Mathura

(e) to confer honorary degrees or other distinctions with prior approval of the State Government;

(f) to institute as per norms of Regulatory Authorities and State Government Directorships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, and other teaching or academic posts required by the University and to make appointments for the same;

(g) to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto;

(h) to appoint/engage persons of eminence, working in any other University or organization permanently or for a specified period;

(i) to co-operate, collaborate or associate with any other University or Authority or Institution in India and abroad in such manner and for such purpose as the University may determine;

(j) to establish and maintain schools, centres, specialized laboratories in other units for research and instructions as are in the opinion of the University, necessary for the furtherance of its objects;

(k) to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(l) to establish, maintain and supervise residences, hostels and promote the health and general welfare Activities for students and staff;

(m) to make provisions for research and consultancy, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the University may deem necessary;

(n) to establish a faculty, a department, a centre, or school, as the case may be, in accordance with the Act and Statutes;

(o) to determine standards in accordance with the State Government and other Regulatory Bodies for admissions into the University, which may include examination, evaluation or any other method of testing to ensure quality;

(p) to demand and receive payment of fees and other charges;

(q) to make special arrangements in respect of women and other disadvantaged students as the University may consider desirable;

(r) to regulate and enforce discipline among the employees and students of the University and take such disciplinary measures in this regards as may be deemed necessary by the University;

(s) to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;

(t) to receive donations and to acquire, hold and manage any property, movable or immovable for the welfare of the University;

(u) to ensure that no immovable property shall be disposed off or rights or title therein parted with or any liability created thereon, by any of the officers or authorities of the University, except after prior approval of the State Government;

(v) to appoint either on contract or otherwise, visiting professors emeritus professors, consultants, fellows, scholars, artists, course directors and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;

(w) to organize and to undertake extramural studies and extension service; and

(x) to do all such other acts and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

Registrar
SKS International University
Mathura

Admission and Standards

12. (1) Admissions to the different academic programmes shall be made in accordance with the norms to be determined by the admissions committee in accordance with the provisions of the Act, the Statutes, Ordinances made thereunder.

(2) The University shall ensure that the academic standards of the courses offered by the University are in accordance with the guidelines of the Regulatory Bodies.

(3) The teacher-student ratio shall be in accordance with the guidelines of the Regulatory Bodies.

University open to all classes and creeds

13. The University shall be open to persons of all sex and of whatever race, creed, caste or class, and it shall not be lawful for the University to adopt to impose on any person any test whatsoever of his religious belief or profession in order to entitle him to be admitted therein as an officer, a teacher, staff member, student, or to hold any office therein or to graduate thereat :

Provided that reservation in the posts and recruitment of the employees and reservation of seats for admission in any course of study in the University for the students belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections of General Category of citizens shall be regulated by the orders and guidelines of the State Government issued from time to time.

Officers of the University

14. The following shall be the Officers of the University:-

(1) the Chancellor or the President;

(2) the Pro-Chancellor or Vice-President;

(3) the Vice-Chancellor;

(4) the Pro-Vice-Chancellor;

(5) the Registrar;

(6) the Dean of Faculty;

(7) the Dean of Students' Welfare;

(8) the Director;

(9) the Controller of Examinations;

(10) the Chief Proctor;

(11) the Finance Officer; and

(12) such other Officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

The Chancellor or the President

15. (1) The Chancellor/President shall be appointed by the Governing Body for a period of five years by following such procedure and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) The Chancellor/ President shall be the head of the University.

(3) The Chancellor/President shall preside over the meetings of the Governing Body and convocation of the University.

(4) If, at any time, upon representation made or otherwise, and after making such inquiry, as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Chancellor/President is not in the interest of the University, Governing Body, may, by majority decision ask the Chancellor/ President by an order in writing stating the reasons therefor, to relinquish his office before expiration of his tenure from such date as may be specified in the order. In such case the Pro-Chancellor/Vice-President shall preside over the meeting of the Governing Body:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Chancellor/President shall be given an opportunity of being heard.

3/4

Registrar
SKS International University, Mathura

63

(5) The Chancellor/the President shall have the following powers, namely:-

(a) to call for any information or record of the University;

(b) to appoint the Vice-Chancellor under sub-section (1) of section 17 of this Act ;

(c) to remove the Vice-Chancellor in accordance with the provisions of this Act and Statutes made thereunder;

(d) such other powers as may be prescribed.

(6) The Chancellor/President shall draw salary not exceeding double the amount of salary of the Pro-Chancellor/the Vice-President of the University.

The Pro-Chancellor or Vice-President

16. (1) The Pro-Chancellor/Vice-President shall be appointed by the Chancellor/President with the approval of the Governing Body for a period of five years.

(2) The Pro-Chancellor/Vice-President shall assist the Chancellor, President, respectively in discharging his/her duties and preside at the convocation in his/her absence.

(3) The Pro-Chancellor/Vice-President may in writing under his hand addressed to the Chancellor/President resign from his office.

(4) If, at any time, upon representation made or otherwise, and after making such inquiry, as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Pro-Chancellor/Vice-President is not in the interest of the University, the Pro-Chancellor/Vice-President with the prior approval of the Governing Body, may, by an order in writing stating the reasons therefor, ask the Pro-Chancellor/Vice-President to relinquish his office before expiration of his tenure from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Pro-Chancellor/Vice-President shall be given an opportunity of being heard.

(5) The Pro-Chancellor/Vice-President shall draw salary which shall be less than that of the Chancellor/President of the University.

The Vice-Chancellor

17. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor/President with prior approval of the Governing Body:

Provided that a Vice-Chancellor shall be eligible for reappointment after the expiry his/her term.

(2) The Vice-Chancellor shall hold office for a period of five years or until he/she attains the age of seventy years whichever is earlier.

(3) If, at any time, upon representation made or otherwise, and after making such inquiry, as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Vice-Chancellor is not in the interest of the University, the Governing Body may, by an order in writing stating the reasons therefor, ask the Vice-Chancellor to relinquish his office from such date as may be specified in the order:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Vice-Chancellor shall be given an opportunity of being heard.

(4) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the University and shall be the chairperson of the Executive Council and execute the decisions of the Executive Council and other competent bodies and the State Government made under the provisions of the Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder.

Registrar
SRS International University
Mathura

(5) The Vice-Chancellor shall preside over the convocation of the University in the absence of the Chancellor/President and the Pro-Chancellor/Vice-President.

(6) If in the opinion of the Vice-Chancellor, it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Act, he may take such action as he deems necessary and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter within a period of thirty days :

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice- Chancellor, then such case shall be referred to the Chancellor/President, whose decision thereon shall be final.

(7) The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be provided under this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder.

The Pro-Vice-Chancellor

18. (1) The Pro-Vice- Chancellor shall be appointed by the Vice- Chancellor in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statutes and provided in the Ordinances and regulations.

(2) The Pro-Vice Chancellor appointed under sub-section (1) shall discharge his duties in addition to his duties as a Professor.

(3) The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in discharging day to day duties as and when required by the Vice- Chancellor.

(4) The Pro-Vice-Chancellor shall get honorarium of such amount as may be determined by the Sponsoring Body.

The Registrar

19. (1) The qualifications, term of office, conditions of service and procedure of appointment of the Registrar shall be such as may be prescribed.

(2) The Registrar shall have the power to authenticate records on behalf of the University.

(3) The Registrar shall be responsible for the due custody of records and the common seal of the University. He shall be the *ex-officio* Secretary of the Governing Body, the Executive Council, the Academic Council and the Admissions Committee and every Selection Committee for appointment of teachers of the University, and shall be bound to place before these authorities all such information as may be necessary for transaction of their business. He shall also perform such other duties as may be prescribed by the Statutes, Ordinances and Regulations, and required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor but he shall not by virtue of this sub-section, be entitled to vote.

Dean of Faculty

20. Every Dean shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

Finance Officer

21. (1) The Finance Officer shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed.

(2) The Finance Officer shall be the *ex-officio* Secretary of the Finance Committee.

Other Officers

22. The manner of appointment and powers and duties of the other officers of the University including the Dean of Students' Welfare, Controller of Examinations and Chief Proctor shall be such as may be prescribed.

Authorities of the University

23. The following shall be the Authorities of the University:-

(1) the Governing Body ;
(2) the Executive Council ;
(3) the Academic Council;

Registrar
SKS International University
Mathura

(4) the Finance Committee ;
(5) the Planning Board;
(6) the Board of Faculties;
(7) the Board of Studies;
(8) the Admissions Committee;
(9) the Examinations Committee; and
(10) such other authorities as may be declared by the Statutes to be the authorities of the University.

The Governing Body

24. (1) The constitution of the Governing Body and the term of office of its members shall be such as may be prescribed.

(2) The Governing Body shall meet once a year on the date to be fixed by the Chancellor/President and such meeting shall be called the annual meeting of the Governing Body:

Provided that the Chancellor/President may, whenever he thinks fit, and shall, upon a requisition in writing signed by not less than one fourth of the total membership of the Governing Body, convene a special meeting of the Governing Body.

(3) Subject to provisions of this Act, the Governing Body shall Act as an advisory Body of the University and have the following powers and functions, namely:-

(a) to review from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for the working, improvement and development of the University;
(b) to consider and pass resolutions on the Annual Report and Annual accounts of the University and Audit Report of such accounts and furnish their views to the Executive Council;
(c) to advise the President in respect of any matter which may be referred to it for advice;
(d) to perform such other functions as may be prescribed.

The Executive Council

25. (1) The Executive Council shall be the principal executive body of the University.

(2) The meeting of the Executive Council may be convened as may be prescribed.

(3) The administration, management and control of the University and the income thereof shall be vested with the Executive Council which shall control and administer the property and funds of the University.

(4) The Executive Council, subject to the provisions of this Act, have the following powers and duties:–

(i) to hold and control the property and funds of the University;
(ii) to acquire any movable or immovable property on behalf of the University;
(iii) to make, amend or repeal Statutes and Ordinances;
(iv) to administer any funds placed at the disposal of the University for specific purposes;
(v) to approve the budget of the University;
(vi) to institute scholarships, fellowships, bursaries, medals and other rewards in accordance with the Statutes and Ordinances;
(vii) to appoint Registrar, officers, teachers and employees of the University and define the duties and conditions of their service;

Registrar
SKS International University
Mathura

(viii) to fix the honorarium, emoluments, traveling and other allowances of the examiners;

(ix) to direct the form and use of the common seal of the University;

(x) to regulate and enforce discipline among members of the teaching, administrative and other staff of the University in accordance with the Statutes and Ordinances;

(xi) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property and all other administrative affairs of the University;

(xii) to invest any money belonging to the University including endowed property;

(xiii) to provide the buildings, premises, furniture, equipments, apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(xiv) to enter into, vary, carry out, and cancel contract on behalf of the University;

(xv) to regulate and determine all other matters concerning the University in accordance with this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(5) Every decision of the Executive Council shall be informed by the reasons therefor.

(6) The Vice-Chancellor shall be the Chairperson of the Executive Council, which shall consist of the following other members, namely :–

(i) three members to be nominated by the Governing Body;

(ii) two eminent educationists nominated by the President;

(iii) one officer of the State Government not below the rank of Joint Secretary to the Government of Uttar Pradesh;

(iv) one Professor and one Associate Professor of the University in order of seniority on rotation basis for a period of one year;

(v) one educationist not below the rank of Associate Professor from a panel of three names to be approved by the State Government, for which the University shall submit a list of three names of eminent educationists;

(vi) the Registrar who shall be *ex-officio* Member Secretary;

(vii) the Finance Officer shall have the right to speak in and otherwise to take part in the proceedings of the Executive Council but shall not be entitled to vote;

(7) Quorum of the meeting of the Executive Council shall not be less than six members.

(8) Decisions at any meeting of the Executive Council shall be taken by majority of the members present at such meeting:

Provided that, in case of tie in any proposal, the proposal having support of the Vice-Chancellor shall prevail.

The Academic Council

26. (1) The Academic Council shall be the principal academic body of the University and shall subject to the provisions of the Statutes, the Ordinances and Regulations, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the University.

(2) The constitution of the Academic Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

Registrar
SKS International University
Mathura

The Finance Committee

27. (1) The Finance Committee shall be the principal financial body of the University to take care of the financial matters.

(2) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be such, as may be prescribed.

The Planning Board

28. (1) The Planning Board shall be the principal planning body of the University. The Board shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms of the University Grants Commission and other Regulatory Bodies.

(2) The constitution, of the Planning Board, term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

Board of Faculty, Board of Studies, Admissions Committee, Examinations Committee and other Authorities of the University

29. The constitution, powers and functions of the Board of Faculties, the Admissions Committee, the Examinations Committee and of such other authorities of the University which may be declared by the Statutes to be authorities of the University, shall be such as may be prescribed.

Disqualification for membership of a body

30. A person shall be disqualified for being a member of any of the authorities or bodies of the University, if he/she–

(1) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;

(2) is an undischarged insolvent;

(3) has been convicted of any offence involving moral turpitude;

(4) has been punished for indulging in or promoting unfair practice in the conduct of any examination, in any form, anywhere;

(5) has any profit motive from University except salary or any other authorised emoluments;

(6) applies University fund for his personal use.

Vacancies not to invalidate the proceedings of any authority or body of the University

31. No decision, Act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid merely by reason of any vacancy or defect in the constitution thereof.

Filling up of emergent vacancies

32. Any vacancy occurred in the membership of any authority or body of the University due to death, resignation or removal of a member or due to change of capacity in which he was appointed or nominated, shall be filled up as early as possible by the person or the body who had appointed or nominated such a member:

Provided that the person appointed or nominated as a member of an authority or body of the University on an emergent vacancy, shall remain member of such authority or body, for only the remaining period of the member, in whose place he is appointed or nominated.

Committees

33. The authorities or officers of the University may constitute such committees or sub-committee with such terms of reference, in conformity with the Act, Statutes, Ordinances and Regulations, as may be necessary for specific tasks to be performed by such committees. The constitution of such committees or sub-committee and their duties shall be such as may be determined by the authority or officer constituting the Committee or sub-committee.

Registrar
SKS International University
Mathura

Power to make statutes

34. (1) The first Statutes of the Universities established or incorporated under this Act shall be made by the Executive Council and shall be submitted to the State Government for its approval.

(2) The Government shall consider the First Statutes submitted by the University and shall approve it within three months from the date of its receipt. If the State Government does not approve or communicate to the University the objections thereon within the time mentioned above, statutes so submitted shall be deemed to be approved.

(3) Subject to the provisions of this Act the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the constitution, powers and functions of the authorities of the University, as may be constituted from time to time;

(b) the appointment and continuance in office of the members of the said authorities, filling of vacancies of members of the said authorities, filling of vacancies of members and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary to provide;

(c) the appointment, powers and functions of the officers of the University and their emoluments;

(d) the appointment of teachers of the University and other academic and administrative staff and their emoluments;

(e) the appointment of teachers and other academic and administrative staff working in the University or Institution for specific period for undertaking a joint project;

(f) the conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of their service and the disciplinary matters;

(g) the principles governing seniority of service of employees;

(h) the procedure for settlement of disputes between employees or students and the University;

(i) the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or student against the action of any officer or other authority of the University;

(j) the conferment of honorary degrees;

(k) the withdrawal of degree, diploma, certificate and other academic distinctions;

(l) the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(m) the maintenance of discipline among the students;

(n) the establishment and abolition of Departments, Centers and other institutions *etc.* within the campus of the University;

(o) the delegation of powers vested in the authorities or officers of the University; and

(p) all other matters, as per this Act or as may be prescribed.

(4) The Executive Council shall not make, amend or repeal any Statute affecting the powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

Registrar
SKS International University
Mathura

35. Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Ordinances shall be made by the Executive Council which may provide for all or any of the following matters, namely:- Power to make Ordinances

(a) the admission of students to the University and their enrolment as such;

(b) the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the University;

(c) the medium of instruction and examinations;

(d) the award of degrees, diplomas, certificates and other academic distinctions, the qualifications for the same and the measures to be taken relating to the granting and obtaining of the same;

(e) the fees to be charged for courses of study in the University and for admissions to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the University;

(f) the conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

(g) the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators;

(h) the conditions of residence of the students of the University;

(i) the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them within the University;

(j) the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the Statutes;

(k) the establishment of Centre of Studies, Board of Studies, Interdisciplinary Studies, Special Centers, Specialized Laboratories and other Committees;

(l) the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including professional bodies or associations;

(m) the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic stature of the University;

(n) the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators; and

(o) such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the Statutes.

36. (1) The Annual Report of the University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Governing Body on such date as may be prescribed and the Governing Body shall consider the report in its annual meeting. Annual Report

(2) The Governing Body shall submit its comments on the Annual Report to the Executive Council for its considerations.

37. (1) The Annual Accounts and Balance Sheet of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an experienced and qualified firm of Chartered Accountants of repute. Annual Accounts

(2) A copy of the Annual Accounts, together with the audit report thereon, shall be submitted to the Governing Body and the Chancellor/President along with the observations of the Executive Council.

Registrar
SKS International University
Mathura

(3) Any observations made by the President on the annual accounts shall be brought to the notice of the Governing Body and the Executive Council and the observations, if any, shall, after review by the Executive Council, be submitted to the Chancellor/President and shall be put in the public domain.

Conditions of service of employees

38. (1) Every employee of the University shall be appointed/engaged as per the provisions of this Act and Statutes made thereunder.

(2) Any dispute arising between the University and any of the regular employees, shall be referred to the Vice-Chancellor who shall decide the dispute after affording an opportunity to the employee within three months from the date of receipt of its reference.

(3) Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on *ad-hoc* or part time or casual basis shall be heard and decided by the Vice-Chancellor.

Right to Appeal

39. (1) An aggrieved person may prefer an appeal to the Chancellor/President against any decision of an officer or authority of the University within a period of three months from the date of receipt of such decision:

Provided that the Chancellor/President shall have power to condone the delay if he is satisfied that the appellant for sufficient reasons could not have preferred his appeal within the stipulated time.

(2) Any decision taken by the Chancellor/President in such an appeal shall be final.

Employees Provident Fund and Pensions

40. The University shall constitute for the benefit of its employees such pension or welfare schemes or Provident Fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be decided by the Executive Council.

Mode of proof of University records

41. A copy of any receipt, application, notice, proceeding, resolution of any authority or Committee of the University or other documents in possession of the University, if certified by the Registrar, shall be received as *prima-facie* evidence of the such receipt, applications, notice, order, proceeding or resolution, documents or the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transactions therein where the original would, if produced, have been admissible in evidence.

Publication of Statues, Ordinances and Regulations

42. Every Statute, Ordinances and Regulations made under this Act shall be published by the University.

Permanent Endowment Fund

43. (1) The Sponsoring body shall establish a permanent Endowment Fund of at least Rs. 5 (five) crore.

(2) The Endowment fund shall be used as security deposit to ensure that the University complies with the provisions of this Act and functions as per provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations. The State Government shall have the powers to forfeit, a part or whole of the Endowment Fund, in case the University or the Sponsoring Body contravenes the provisions of this Act, the Statutes, the Ordinances or the Regulations made thereunder.

(3) The University may utilize the income from Endowment Fund for the development of infrastructures of the University or for meeting the recurring expenditure of the University.

(4) The amount of Endowment Fund shall be invested in such instruments as the State Government may prescribe by rules and shall be kept invested until the dissolution of the University.

Registrar
SKS International University
Mathura

(5) In case of investment in long term security, and in case of deposit in the interest bearing Personal Deposit Account in the Government Treasury, deposit shall be made with the condition that the amount shall not be withdrawn or utilized without the prior permission of the State Government.

General Fund

44. (1) The University shall establish a general fund to which the following amount shall be credited, namely:-

(a) all fees which may be charged by the University;
(b) all sums received from any other sources;
(c) all contributions made by the Society ; and
(d) all contributions made in this behalf by any other person or bodies which are not prohibited by any law for the time being in force.

(2) The money credited to the general fund shall be applied to meet all the recurring expenditures of the University.

Development Fund

45. (1) The University shall also establish a development fund to which the following moneys shall be credited, namely:–

(a) development fees, which may be charged from students;
(b) all sums received from other sources for the purpose of the development of the University;
(c) all contributions made by the Sponsoring Body;
(d) all contributions made in this behalf by any other person or bodies which are not prohibited by any law for the time being in force; and
(e) all incomes received from the permanent endowment fund.

(2) The moneys credited to the development fund from time to time shall be utilized for the development of the University.

Maintenance of Funds

46. All funds established under this Act shall subject to general supervision and control of the Executive Council and be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

The University shall be self financed

47. The University shall not be eligible for any grants in aid or any financial assistance from the State Government or any other body or Corporation owned and controlled by the State Government.

Fees

48. The fee structure for all purposes shall be decided by the Executive Council provided that the University shall not charge any fee from its students in excess of what is required under any law of the State Government at the time being in force or as fixed by the Regulatory Bodies and the fees structure shall be put in public domain.

Accreditation of the University

49. Within a period of five years from commencement of programmes, the University shall obtain NAAC and other such accreditations as may be prescribed by the State Government from time to time. It shall also obtain certification/accreditation from such other Regulating Bodies which are connected with the courses taken up by the University. It shall inform the State Government about the grade provided to the University. The University shall ensure renewal of such accreditation from time to time.

Convocation

50. The convocation of the University shall be held in every academic year in the manner as may be prescribed by the Statutes, the Ordinances and the Regulations for conferring degrees, diplomas or for any other purpose.

The Uttar Pradesh Higher Education Council shall be the nodal agency for Private Universities

51. (1) To ensure the compliance of the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations made thereunder, the Uttar Pradesh State Higher Education Council shall be the nodal agency.

Registrar
SKS International University
Mathura

(2) The records of the students admitted to the different courses of the University and their results and the records of the students not appearing in the examinations shall be provided to the Uttar Pradesh Higher Education Council. The final degree shall be conferred to the students with approval of the Uttar Pradesh Higher Education Council. The names of the persons to be awarded the degrees shall be submitted to The Uttar Pradesh Higher Education Council before 30 days of the date of convocation and the Council shall approve the list. In case approval of the Council is not communicated to the University within 20 days, the list shall be deemed to be approved.

(3) The Uttar Pradesh Higher Education Council may call from the University or any authority or officer of the University to furnish any information or records of the University within specified date and time failing which the Uttar Pradesh Higher Education Council may send the report to the State Government for appropriate action.

(4) The Uttar Pradesh Higher Education Council shall conduct atleast one annual inspection of the Universities established under this Act for the purpose of compliance of the provisions of this Act and to ensure imparting of quality education and submit its annual inspection report to the State Government specifically regarding the compliance of the undertaking given under section 3 of this Act.

Power of State Government to call for information and records

52. (1) It shall be the duty of the University or any authority or officer of the University to furnish such information or records relating to the administration or finances and other affairs or activities *etc.* of the University as the State Government may call for.

(2) The State Government, if it is of the view that there is a violation of the Act, the Statutes, the Ordinances or the Regulations made thereunder may issue such directions to the University under this Act as it may deem necessary, and the University shall comply with such directions within the stipulated time.

Dissolution of University

53. (1) If the University proposes its dissolution in accordance with the law governing its constitution or incorporation, it shall give at least one year's written notice to the State Government.

(2) On receipt of notice referred to in sub-section (1), the State Government shall make such arrangements for administration of the University from the date of dissolution of the University and until the last batch of students in regular courses of studies of the University complete their courses or studies in such manner as may be prescribed.

Expenditure of the University during dissolution

54. (1) The expenditure for administration of the University during the taking over of the liabilities of the University under section 53 of the Act shall be met out of the Permanent Endowment Fund, the general fund and the development fund.

(2) During this process, if the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure and the liabilities of the University, such expenditure may be met by disposing off the properties and assets of the University by the State Government.

Winding up of the University by the State Government

55. (1) If it appears to the State Government that the University has contravened any of the provisions of this Act, Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act or has ceased to carry out any of the undertakings given under section 3 or there is fraud or misappropriation or serious misuse of funds, it may issue direction to the Uttar Pradesh Higher Education Council to conduct preliminary inquiry.

(2) If the State Government, on receipt of inquiry report of the University on the direction issued under sub-section (1), is satisfied that there is a *prima facie* case of contravention of all or any of the provisions of this Act or the Statutes or Ordinances or Regulations made thereunder or of violation of directions issued by it under this Act or of ceasing to carry out the undertaking given under section 3, or there is fraud or misappropriation or serious misuse of funds, it shall make an order of such enquiry as it may consider necessary.

Registrar
S.K.S International University
Mathura

73

(3) For the purposes of an inquiry under sub-section (2), the State Government shall, by notification, appoint an officer or a committee on the recommendation of the Uttar Pradesh Higher Education Council as the inquiring authority to inquire into the allegations of violation of the provisions of this Act.

(4) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall while performing its functions under this Act have all the powers of Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 while trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) requisitioning any public record or copy thereof from any office;

(d) receiving evidence on affidavit; and

(e) any other matter which may be prescribed.

(5) If, upon receipt of the inquiry report, the State Government is satisfied that the University has violated any provisions of this Act and there is a need for corrective action, the State Government shall direct the University to make necessary improvements within the specified time, in order to comply with the provisions of this Act. If the University fails to comply with such directions within specified time, the State Government may again direct the University to make necessary improvements or modifications within a period of 15 days from the issuance of such directions.

(6) On receipt of the enquiry report from the enquiry officer or the enquiry committee appointed under sub-section (3), if the State Government is satisfied that the University has contravened all or any of the provisions of this Act or the Statutes or Ordinances or Regulations made thereunder or has violated any of the directions issued by it under this Act including directions issued under sub-section(5) above or has ceased to carry out the undertakings given by it under section 3 or there is fraud or misappropriation or serious misuse of funds in the University which threatens the academic standard of the University, the State Government for liquidation of the University, shall appoint a interim committee consisting of three members to run the affairs of the University during the period.

(7) (i) The interim committee appointed under sub-section (6) shall have all the powers to administer the affairs of the University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses and they have been awarded degrees, diplomas or awards as the case may be;

(ii) After having been awarded the degrees, diplomas or awards, as the case may be, to the last batches of the students of the regular courses, the interim committee shall make a report to the effect to the State Government;

(iii) On receipt of the report under sub-section (7) (ii), the State Government shall, by a notification in the Official *Gazette*, issue an order dissolving the University and from the date of publication of such notification, the University shall stand dissolved and all the remaining assets and liabilities of the University shall vest in the sponsoring body from such date.

(8) Every notification under sub-section (7), shall be laid before both Houses of the State Legislature.

Power of the State Government to issue directions on policy matters

56. The State Government may issue such directions from time to time to the University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Act as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the University, failing which the State Government may take a reasoned action against the University in accordance with this Act.

Registrar
SKS International University
Mathura

Status of Assets / Liabilities on dissolution / de-recognition

57. All residual assets and properties including permanent endowment fund, general fund or any other fund and the liabilities of the University shall belong to the Sponsoring Body in case of dissolution of the University under any provision mentioned herein above in the Act.

Power to make rules

58. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the manner of making proposal to establish a University and the application fees payable under sub-section (1) of section 4;

(b) other particulars to be contained in the Project Report under sub-section (2) of section 4;

(c) other matters which are required to be, or may be, prescribed by rules under this Act.

Power to remove difficulties

59. (1) The State Government may for the purposes of removing any difficulties, particularly in relation to the transition from the provisions of the individual Private University Acts to the provisions of this Act, direct that the provisions of this Act shall during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem necessary or expedient:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid before both Houses of State Legislature as soon as may be after it is made.

Disputes to be settled in a Court in Uttar Pradesh

60. All disputes arising as a result of the provisions made in this Act shall be settled by a Court of law in the State of Uttar Pradesh.

The Ordinance to have overriding effect

61. The provisions of this Act and the Statutes, Ordinances and Regulations made there under shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law, for the time being in force, made by the State Legislature relating to Universities.

Repeal and savings

62. (1) All the Acts enumerated in the Schedule-1 to this Act shall stand repealed on the commencement of this Act.

(2) Notwithstanding the repeal of the Acts enumerated in the Schedule-I mentioned in sub-section (1), all the decisions made, Acts performed, rights and liabilities created and exhausted by the Universities established under the repealed Acts shall be deemed to be valid under this Act.

(3) The Universities incorporated into this Act shall modify their Statutes, Ordinances and Regulations applicable thereto under their respective repealed Acts, to bring them in conformity with the provisions of this Act within a period of one year from the date of commencement of this Act.

Minority Private Universities

63. Notwithstanding anything contained in this Act the University established by a religious or linguistic minority of the State of Uttar Pradesh, shall continue to have the privileges as guaranteed by Article 30 of the Constitution of India.

Registrar
SKS International University
Mathura

SCHEDULE-1

(See Section-8)

Sl.	Details of the Act	Name of the University
1	The Integral University Act, 2004 (U.P. ACT NO. 9 OF 2004) Notification Dated 27-02-2004	The Integral University, Lucknow
2	The Amity University Uttar Pradesh Act, 2005 (U.P. ACT NO. 11 OF 2005) Notification Dated 24-03-2005	Amity University Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh
3	The Mangalayatan University Uttar Pradesh Act, 2006 (U.P. ACT NO. 32 OF 2006) Notification Dated 30-10-2006	Mangalayatan University Aligarh, Uttar Pradesh
4	The Swami Vivekanand Subharti University Uttar Pradesh Act, 2008 (U.P. ACT NO. 29 OF 2008) Notification Dated 05-09-2008	Swami Vivekanand Subharti University, Merrut, Uttar Pradesh
5	The Teerthanker Mahaveer University Uttar Pradesh Act, 2008 (U.P. ACT NO. 30 OF 2008) Notification Dated 05-09-2008	Teerthanker Mahaveer University, Moradabad, Uttar Pradesh
6	The Sharda University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 14 OF 2009) Notification Dated 24-03-2009	Sharda University Greater Noida, Uttar Pradesh
7	The GLA University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 21 OF 2010) Notification Dated 01-09-2010	GLA University Mathura, Uttar Pradesh
8	The Invertis University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 22 OF 2010) Notification Dated 01-09-2010	Invertis University Bareilly, Uttar Pradesh
9	The Monad University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 23 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010	Monad University Gaziabad, Uttar Pradesh
10	The Noida International University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 27 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010	Noida International University Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
11	The IFTM University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 24 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010	IFTM University, Omkar Dham Lodhipur Rajput, Delhi Road Moradabad
12	Shri Venkateshwara University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 26 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010	Shri Venkateshwara, Gajraula, J.P. Nagar
13	The Babu Banarasi Das University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 25 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010	Babu Banarasi Das University, Lucknow

Registrar
SKS International University
Mathura

14	The Galgotias University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 14 OF 2011) Notification Dated 07-04-2011	The Galgotias University, Gautambudh Nagar
15	The Shivnadar University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 12 OF 2011) Notification Dated 21-06-2011	The Shivnadar University Dadri Gautambudh Nagar
16	The Ram Swaroop Memorial University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 1 OF 2012) Notification Dated 04-07-2012	Shri Ram Swaroop Memorial University, Barabanki
17	The Mohammad Ali Jauhar University Uttar Pradesh Act, 2005 (U.P. ACT NO. 19 OF 2006) Notification Dated 19-06-2006	The Mohammad Ali Jauhar University, Rampur
18	The Glocal University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 2 OF 2012) Notification Dated 05-07-2012	The Glocal University Ali Akbarpur, Saharanpur
19	The Rama University Uttar Pradesh Act, 2013 (U.P. ACT NO. 1 OF 2014) Notification Dated 10-01-2014	Rama University, Kanpur
20	The Shobit University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 3 OF 2012) Notification Dated 05-07-2012	Shobit University, Gangoh, Saharanpur
21	The J.P. University Uttar Pradesh Act, 2014 (U.P. ACT NO. 8 OF 2014) Notification Dated 04-3-2014	J.P. University Anoop Shahar, Uttar Pradesh
22	The J.S. University Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh Act, 2015 (U.P. ACT NO. 7 OF 2015) Notification Dated 24-6-2015	J.S. University Shikohabad, Firozabad
23	The IIMT University, Meerut, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 32 OF 2016) Notification Dated 03-10-2016	IIMT University, Meerut, Uttar Pradesh
24	The Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh, Act, 2016 (U.P. ACT NO. 24 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016	Bennett University, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
25	The Bareilly International University, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 26 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016	Bareilly International University, Bareilly
26	The Sanskriti University, Chhata, Mathura, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 20 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016	Sanskriti University, Chhata, Mathura
27	The Era University, Lucknow, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 27 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016	Era University, Lucknow, Uttar Pradesh

Registrar
SKS International University
Mathura

77

SCHEDULE-2

(See Section-7)

Sl.	Details of the Act	Name of the University
1	**The Integral University Act, 2004** (U.P. ACT NO. 9 OF 2004) Notification Dated 27-02-2004	The Integral University, Lucknow
2	The Amity University Uttar Pradesh Act, 2005 (U.P. ACT NO. 11 OF 2005) Notification Dated 24-03-2005	Amity University Uttar Gautambudh Nagar, Pradesh
3	The Mangalayatan University Uttar Pradesh Act, 2006 (U.P. ACT NO. 32 OF 2006) Notification Dated 30-10-2006	Mangalayatan University Aligarh, Uttar Pradesh
4	The Swami Vivekanand Subharti University Uttar Pradesh Act, 2008 (U.P. ACT NO. 29 OF 2008) Notification Dated 05-09-2008	Swami Vivekanand Subharti University, Merrut, Uttar Pradesh
5	The Teerthanker Mahaveer University Uttar Pradesh Act, 2008 (U.P. ACT NO. 30 OF 2008) Notification Dated 05-09-2008	Teerthanker Mahaveer University, Moradabad, Uttar Pradesh
6	The Sharda University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 14 OF 2009) Notification Dated 24-03-2009	Sharda University Greater Noida, Uttar Pradesh
7	The GLA University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 21 OF 2010) Notification Dated 01-09-2010	GLA University Mathura, Uttar Pradesh
8	The Invertis University Uttar Pradesh Act, 2009 (U.P. ACT NO. 22 OF 2010) Notification Dated 01-09-2010	Invertis University Bareilly, Uttar Pradesh
9	The Monad University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 23 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010	Monad University Gaziabad, Uttar Pradesh
10	The Noida International University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 27 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010	Noida International University Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
11	The IFTM University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 24 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010	IFTM University, Omkar Dham Lodhipur Rajput, Delhi Road Moradabad
12	Shri Venkateshwara University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 26 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010	Shri Venkateshwara, Gajraula, J.P. Nagar
13	The Babu Banarasi Das University Uttar Pradesh Act, 2010 (U.P. ACT NO. 25 OF 2010) Notification Dated 12-10-2010	Babu Banarasi Das University, Lucknow
14	The Galgotias University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 14 OF 2011) Notification Dated 07-04-2011	The Galgotias University, Gautambudh Nagar

Registrar
SKS International University
Mathura

15	The Shivnadar University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 12 OF 2011) Notification Dated 21-06-2011	The Shivnadar University Dadri Gautambudh Nagar
16	The Ram Swaroop Memorial University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 1 OF 2012) Notification Dated 04-07-2012	Shri Ram Swaroop Memorial University, Barabanki
17	The Mohammad Ali Jauhar University Uttar Pradesh Act, 2005 (U.P. ACT NO. 19 OF 2006) Notification Dated 19-06-2006	The Mohammad Ali Jauhar University, Rampur
18	The Glocal University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 2 OF 2012) Notification Dated 05-07-2012	The Glocal University Ali Akbarpur, Saharanpur
19	The Rama University Uttar Pradesh Act, 2013 (U.P. ACT NO. 1 OF 2014) Notification Dated 10-01-2014	Rama University, Kanpur
20	The Shobit University Uttar Pradesh Act, 2011 (U.P. ACT NO. 3 OF 2012) Notification Dated 05-07-2012	Shobit University, Gangoh, Saharanpur
21	The J.P. University Uttar Pradesh Act, 2014 (U.P. ACT NO. 8 OF 2014) Notification Dated 04-3-2014	J.P. University Anoop Shahar, Uttar Pradesh
22	The J.S. University Shikohabad, Firozabad, Uttar Pradesh Act, 2015 (U.P. ACT NO. 7 OF 2015) Notification Dated 24-6-2015	J.S. University Shikohabad, Firozabad
23	The IIMT University, Meerut, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 32 OF 2016) Notification Dated 03-10-2016	IIMT University, Meerut, Uttar Pradesh
24	The Bennett University, Greater Noida, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 24 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016	Bennett University, Greater Noida, Gautam Buddha Nagar
25	The Bareilly International University, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 26 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016	Bareilly International University, Bareilly
26	The Sanskriti University, Chhata, Mathura, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 20 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016	Sanskriti University, Chhata, Mathura
27	The Era Univesity, Lucknow, Uttar Pradesh Act, 2016 (U.P. ACT NO. 27 OF 2016) Notification Dated 16-9-2016	Era University, Lucknow, Uttar Pradesh

Registrar
SKS International University
Mathura

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In accordance with the guidelines under the Government Order dated February 06, 2008, twenty seven private Universities have been established and incorporated by different State Acts. Since different Acts of different Universities contains different provisions and there is no uniform provision for monitoring of such Private Universities, it has become difficult to implement and enforce the policies of the State Government, to collect information and records and to implement the standards of quality in higher education.

It has, therefore, been decided to make an umbrella Act to govern all the Private Universities under a common law.

The Uttar Pradesh Private Universities Bill, 2019 is introduced accordingly.

By order,
J.P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 191 राजपत्र–(हिन्दी)–2019–(565)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 68 सा० विधायी–2019–(566)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

Registrar
...national University
Mathura